



कानपुर नगर निगम

मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक जो दिनांक 30.03.2017

को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त

सायं 04.00 बजे

स्थान: नगर निगम समिति कक्ष, मोतीझील, कानपुर



कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्या: डी/०५/सचिव (न.नि.)/17-18
सेवामें

दिनांक : 10-04-17

मा० श्री/श्रीमती.....

पार्षद वार्ड सं०...../सदस्य कार्यकारिणी

महोदय/महोदया,


नगर निगम कार्यकारिणी समिति की दिनांक 30.03.2017 दिन गुरुवार को आहूत बैठक, का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 70 तक।

प्रतिलिपि:

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. संयुक्त नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम, कानपुर


सचिव
नगर निगम, कानपुर

दिनांक-30-03-2017 दिन गुरुवार को सायं 04:00 बजे नगर निगम मुख्यालय मोतीझील स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1.	श्री जगतवीर सिंह द्रोण	महापौर/सभापति	11.	श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
2.	हाजी सुहेल अहमद	पार्षद/उपसभापति	12.	श्री रमापत झुनझुनवाला	पार्षद/सदस्य
3.	श्री जितेन्द्र सचान	पार्षद/सदस्य	अधिकारीगण		
4.	श्री कैलाश पाण्डेय	पार्षद/सदस्य	1.	श्री उमेश प्रताप सिंह	नगर आयुक्त
5.	श्रीमती पूनम द्विवेदी	पार्षद/सदस्य	2.	श्री वी०के०गुप्ता	संयुक्त नगर आयुक्त
6.	श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य	3.	डॉ० पंकज श्रीवास्तव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
7.	श्री सुमित सरोज	पार्षद/सदस्य	4.	श्री आर.पी.एस. सलूजा	महाप्रबन्धक 'जलकल'
8.	श्री नवीन पण्डित	पार्षद/सदस्य	5.	श्री मनीष कुमार सिंह	मुख्य अभियन्ता
9.	मो० शमीम आजाद	पार्षद/सदस्य	6.	श्री रामनगीना त्रिपाठी	मुख्य अभियन्ता (वि./याँ.)
10.	श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद/सदस्य	7.	श्री ए.के.शुक्ला	वित्त अधिकारी 'जलकल'
			8.	डॉ० ए.के.सिंह	पशु चिकित्साधिकारी

सभापति ने नगर आयुक्त को एजेण्डा के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया।

तदनुसार नगर आयुक्त ने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को पुनरीक्षित बजट वर्ष 2016-17 व मूल बजट वर्ष 2017-18 को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने एवं बजट के तखमीनों से समिति के सदस्यों को अवगत कराने हेतु आदेशित किया।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-147 के अन्तर्गत नगर निगम का पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित कुल आय रू० 1,53,530.21 लाख व प्रारम्भिक अवशेष रू० 32,133.20 लाख कुल 1,85,663.41 लाख के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रू० 1,63,155.11 लाख व अन्तिम अवशेष रू० 22,508.30 लाख कुल रू० 1,85,663.41 लाख का है। बजट की मुख्य विशेषता निम्नवत् है :-

आय पक्ष :- राजस्व आय में रू० 51049.60 लाख में वृद्धि करते हुये रू० 51,525.10 लाख किया गया है। पूँजीगत आय में रू० 61,810.60 लाख में वृद्धि करते हुये रू० 62,886.10 लाख किया गया है।

रिजर्व फण्ड :- (जे.एन.एन.यू.आर.एम./अमृत योजना) में रू० 90,644.11 लाख था जिसको पुनरीक्षित नहीं किया गया है।

प्रस्ताव संख्या-1680

पुनरीक्षण बजट
आय
वर्ष 2016-2017

हृदय को 72,531.00 लाख किया गया है।
रिजर्व फण्ड :- (जे.एन.एन.यू.आर.एम./अभूत योजना) में को 90,624.11 लाख या जिसका पुनरीक्षण नहीं किया गया है।
अतः नगर निगम का पुनरीक्षण बजट वर्ष 2016-17 मानीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

व्यय पक्ष :- राजस्व व्यय में को 55,373.00 लाख में कमी करते हृदय को 54,893.00 लाख किया गया है। पूँजीगत व्यय में को 73,011.00 लाख में कमी करते

(अनुरोधित लाख में)

Account Code	Account Head	वर्षिक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वस्तविक आय 2015-16 तक	पुनरीक्षणित 2016-17	वस्तविक आय 2016 तक	पुनरीक्षणित 2016-17
1101	Revenue Income	1101	करों से आय	3	9276.67	13101.50	3459.91	13601.50
1201	Assigned revenues & Compensations	1201	कर्मियों के अर्थीन आय	3	1.76	2.00	1.59	3.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	119.05	128.50	33.76	134.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	3-4	519.68	1289.50	278.68	1258.00
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	5	84.21	152.00	6.85	152.00
1701	Income from Investments	1701	विनिवेशों से आय	5	5.03	51.00	40.80	51.00
1801	Income from Interests	1801	ब्याज से आय	5	688.07	605.00	235.22	605.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	81.39	92.10	16.32	92.10
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अदान	6	29335.51	35628.00	11567.84	35628.00
TOTAL -A-			योग (अ)	6	40111.35	51049.60	15640.95	51525.10
3111	Earmarked Funds	3111	काय विशेष निधियाँ					
3111	Finance Commission: Thirteenth	3111	वित्त आयोग : त्रिदश	6	7559.49	5600.00	2861.88	6200.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	6	2620.19	4050.00	0.00	4050.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6	232.07	1076.00	181.97	1076.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	7	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	7	0.00	31.00	0.00	31.00

रु०.....महापौर

	TOTAL -B-		योग (ब)	7	10411.75	10761.00	3043.85	11361.00
	TOTAL (A+B)		योग (अ+ब)	7	50523.11	61810.60	18684.81	62886.10
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)					
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिक्रमि निधि ऋण (रिवाल्विंग फण्ड)	7	0.00	6737.41	4648.73	6737.41
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना प्राप्तियाँ	7-8	37.19	11663.12	50.34	11663.12
3121	Reserve against Work in Progress	3121	निर्माणाधीन कार्य के सापेक्ष संचय	8	0.00	72243.58	0.00	72243.58
	TOTAL -C-		योग (स)	8	37.19	90644.11	4699.07	90644.11
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)	8	50560.29	152454.71	23383.88	153530.21
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेष:-	8	47585.03	32133.20	32305.37	32133.20
	Grand Total		महायोग	8	98145.32	184587.91	55689.25	185663.41

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2015-16	पुनरीक्षित 2016-17	वास्तविक व्यय अगस्त 2016 तक	पुनरीक्षित 2016-17
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय					
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	9	29527.37	35030.00	12610.34	32830.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	9-10	1426.79	2334.00	326.23	2434.00
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	10-11	18565.56	16266.00	6264.95	17826.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	12	313.84	408.00	0.04	408.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	12-13	796.56	1335.00	292.63	1395.00
	TOTAL -D-		योग (द)	13	50630.14	55373.00	19494.19	54893.00
	Capital Expenses		पूँजीगत व्यय					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ					
3111	Finance Commission	3111	वित्त आयोग	14	8289.89	12000.00	876.15	12000.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	14	6827.67	4000.00	988.40	4000.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्य विशेष निधियाँ	14	108.44	1602.00	48.85	1602.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	15	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	32.00	0.00	32.00

ह0.....महापौर

Total-E-	योग (य)	15	15226.00	17638.00	1913.41	17638.00
TOTAL (D+E)	योग (द+य)	15	65856.14	73011.00	21407.60	72531.00
Reserve Fund (JNNURM)	विशेष फंड (वि.प.प.न.यू.आर.एम.)					
3112	निफ्त आर.एम. हस्तांतरण	15	0.00	6737.41	0.00	6737.41
4121	वि.प.प.न.यू.आर.एम. के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर	15	0.00	72243.58	0.00	72243.58
4604	JNNURM Scheme Advance	16	0.00	11643.12	0.00	11643.12
TOTAL -F-	योग (य)	16	0.00	90624.11	0.00	90624.11
Total Revenue, Capital & Reserve	कुल राजस्व, पूंजीगत एवं विशे	16	65856.14	163635.11	21407.60	163155.11
Fund Expenses (D+E+F)	फंड व्यय (द+य+य)					
3401	घटायें :- देयताएं/उत्पन्न खर्च	16	16.18	0.00	-2244.39	0.00
Net Revenue & Capital Expenses	शुद्ध राजस्व, पूंजीगत एवं विशे	16	65839.96	163635.11	23651.99	163155.11
Closing Balance	अन्तिम अवशेष:-	16	32305.37	20952.80	32037.25	22508.30
4502	महायोग	16	98145.32	184587.91	55689.25	185663.41
Grand Total						

वित्तीय वर्ष 2016-17 के पूनरीक्षित बजट में आय पक्ष में दर्यायी गयी धनराशि को 153530.21 तथा प्रारम्भिक अवशेष को 32133.20 कुल धनराशि को 185663.41 तथा व्यय पक्ष में प्रस्तावित धनराशि को 163155.11 तथा अन्तिम अवशेष धनराशि को 22508.30 कुल धनराशि 185663.41 को स्वीकृत प्रदान करते हुए सदन को अधिसूचित किया गया।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-146 के अन्तर्गत नगर निगम मूल बजट वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित कुल आय को 92,613.10 लाख व प्रारम्भिक अवशेष को 22,508.30 लाख कुल को 1,15,121.40 लाख के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय को 91,534.00 लाख व अन्तिम अवशेष को 23,587.40 लाख कुल को 1,15,121.40 लाख का है। बजट की मुख्य विशेषता निम्नवत है :-

आय पक्ष —

1- राजस्व आय में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2016-17 में को 51,525.10 लाख से बढ़ाकर मूल बजट वर्ष 2017-18 में को 57,927.10 लाख प्रस्तावित किया गया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से करों से आय व राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि में वृद्धि में अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं- 3,4,5 व 6)

2- पूंजीगत आय में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2016-17 में को 11,361.00 लाख से बढ़ाकर मूल बजट वर्ष 2017-18 में को 14,411.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से चौदहवाँ वित्त आयोग व अन्य कार्य विशेष निधियों में वृद्धि के अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं- 6 व 7)

- 3- रिजर्व फण्ड जे.एन.एन.यू.आर.एम./अमृत योजना में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2016-17 में ₹0 18,400.53 लाख से बढ़ाकर मूल बजट वर्ष 2017-18 में ₹0 20,275.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। यह वृद्धि अमृत योजना में प्राप्ति के अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं०-7 व 8)

व्यय पक्ष —

- 1- राजस्व व्यय में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2016-17 में ₹0 54,893-00 लाख से घटाकर मूल बजट वर्ष 2017-18 में ₹0 53,738.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। यह कमी मुख्य रूप से राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि में कमी होने के कारण राज्य वित्त आयोग से विकास कार्य में कमी के अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं०-9,10,11,12 व 13)
- 2- पूँजीगत व्यय में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2016-17 में ₹0 17,638.00 लाख से घटाकर मूल बजट वर्ष 2017-18 में ₹0 17,338.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। यह कमी मुख्य रूप से तेरहवाँ/चौदहवाँ वित्त आयोग मद में उपयोगित धनराशि में कमी होने के कारण प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं०-14 व 15)
- 3- रिजर्व फण्ड जे.एन.एन.यू.आर.एम./अमृत योजना में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2016-17 में ₹0 18,380.53 लाख से बढ़ाकर ₹0 20,458.00 लाख किया गया है। यह वृद्धि अमृत योजना में व्यय के अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं०-15 व 16)

मूल बजट वित्तीय वर्ष 2017-18 माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :-

प्रस्ताव संख्या-1681

**मूल बजट
वर्ष 2017-2018
आय**

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2015-16 तक	पुनरीक्षित धनराशि 2016-17	वास्तविक आय जनवरी 2017 तक	प्रस्तावित धनराशि 2017-18
	Revenue Income		राजस्व आय					
1101	Tax Revenue	1101	करों से आय	3	9276.67	13601.50	8323.55	14701.50
1201	Assigned revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के अधीन आय	3	1.76	3.00	2.36	4.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	119.05	134.50	89.12	145.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	3-4	519.68	1258.00	566.03	1259.00
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	5	84.21	152.00	26.39	217.00
1701	Income from Investments	1701	विनियोगों से आय	5	5.03	51.00	43.70	6.00

ह०.....महापौर

Account Code	Account Head	लेखा मद	पूछ	संख्या	वर्ष	2015-16	2016-17	वर्षाभित्ति जनवरी 2017 तक	प्रस्तावित वर्षाभित्ति 2017-18
2101	Revenue Expenses	खाता ख अथ			9	32830.00	24238.26	38280.00	
2201	Administrative Expenses	प्रशासनिक ख			9-10	1426.79	2434.00	2419.00	
2301	Operation & Maintenance	अभियन्तण एवं अंरक्षण			10-11	18565.56	17826.00	11191.00	
38280.00									

80.....सहायक

खय

(वर्षाभित्ति खाख स)

4502	Opening Balance	मदरियत						115121.40	
	Fund Income (A+B+C)	प्रस्ताविक अरधियः--	8		8	47585.03	32133.20	32565.67	22508.30
	TOTAL Revenue, Capital & Reserve	कुल खाख, पूंजीगत एवं रिजर्व	8		8	50560.29	81286.63	46349.07	92613.10
3111	JNNURM Scheme	संयुक्त वित्त संचालन प्रणाली	8		7-8	37.19	18400.53	5289.22	20275.00
3311	Unsecured Loans	(विवाचित्त फण्ड)	7		7	0.00	6737.41	4648.73	5200.00
	Reserve Fund (JNNURM)	रिजर्व फण्ड (संयुक्त वित्त संचालन प्रणाली)	7		7	0.00	62886.10	41059.85	72338.10
	TOTAL (A+B)	खा (अ+ब)	7		7	50523.11	62886.10	41059.85	72338.10
	TOTAL-B-	खा (ब)	7		7	10411.75	11361.00	8729.74	14411.00
3311	Unsecured Loans	असुरक्षित ऋण	7		7	0.00	31.00	0.00	81.00
3301	Secured Loans	सुरक्षित ऋण	7		7	0.00	4.00	0.00	4.00
3111	Other Earmarked Fund	अन्य कायचित्तित्त निधि	6		6	232.07	1076.00	297.55	3076.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	अभियन्तण निधि	6		6	2620.19	4050.00	1513.71	4050.00
3111	Finance Commission: Thirteenth	वित्त आयोग : तैरदवा	6		6	7559.49	6200.00	6918.47	7200.00
3111	Earmarked Funds	कायचित्तित्त निधि	6		6	6200.00	6200.00	6918.47	7200.00
	Capital Income	पूंजीगत आय							
	TOTAL-A-	खा (अ)	6		6	40111.35	51525.10	32330.11	57927.10
1601	Revenue Grants & Contribution	खाता ख अर्धदान एवं अंशदान	6		6	29335.51	35628.00	22739.55	41077.00
1901	Other Income	अन्य आय	5		5	81.39	92.10	64.24	112.10
1801	Income from Interests	खाता ख अथ	5		5	688.07	605.00	475.19	405.00

2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	12	313.84	408.00	451.69	458.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	12-13	796.56	1395.00	516.00	1390.00
	TOTAL -D-		योग (द)	13	50630.14	54893.00	37646.05	53738.00
	Capital Expenses		पूँजीगत व्यय					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ	14	8289.89	12000.00	2334.20	10500.00
3111	Finance Commission	3111	वित्त आयोग	14	6827.67	4000.00	2265.27	4000.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	14	108.44	1602.00	200.63	2802.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्य विशेष निधियाँ	15	0.00	4.00	0.00	4.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	15	0.00	32.00	0.00	32.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	15226.00	17638.00	4800.10	17338.00
	Total -E-		योग (य)	15	65856.14	72531.00	42446.15	71076.00
	TOTAL (D+E)		योग (द+य)					
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)					
3112	ULB Share Transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	15	0.00	6737.41	0.00	5200.00
4604	JNNURM Scheme Advance	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना अग्रिम	16	0.00	11643.12	4833.73	15258.00
	TOTAL -F-		योग (र)	16	0.00	18380.53	4833.73	20458.00
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)					
3401	Less :- Outstanding dues/Suspenses	3401	घटायें :- देयतायें/उचन्त खाते	16	16.18	0.00	-1034.28	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	16	65839.96	90911.53	48314.16	91534.00
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष:-	16	32305.37	22508.30	30600.59	23587.40
	Grand Total		महायोग	16	98145.32	113419.83	78914.74	115121.40

सदस्यों ने सभापति का ध्यानाकर्षित करते हुये कहा कि पूर्व में प्रत्येक वार्ड हेतु दो-दो नये हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु स्वीकृत प्रदान की गई थी। किन्तु हैण्डपम्प अभी तक सभी वार्डों में नहीं लगे है तथा जो हैण्डपम्प अधिष्ठापित भी कराये गये है, वह कतिपय वार्डों में कार्य नहीं कर रहे है।

सभापति ने मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया कि जिन वार्डों में हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा चुके है उनकी सूची तथा जिन वार्डों में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया जाना शेष उनकी सूची तैयार कर दिनांक-03-04-2017 तक प्रस्तुत करें। जिन वार्डों में हैण्डपम्प अभी तक स्थापित नहीं कराये गये है, उनमें प्राथमिकता पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाये तथा जिन वार्डों में नये अधिष्ठापित हैण्डपम्प कार्य नहीं कर रहे है उन्हें भी तत्काल ठीक करवाया जाये।

किया।

नगर आयुक्त ने महाप्रबन्धक जलकल को प्रस्तावित बजट वर्ष 2017-18 को कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।
महाप्रबन्धक जलकल ने वित्त अधिकारी को जलकल के प्रस्तावित बजट वर्ष 2017-18 को कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया।

115121.40 को स्वीकृत प्रदान करते हुए सदन को अप्रसारित किया गया।

धनराशि रु० 115121.40 तथा व्यय पक्ष में प्रस्तावित धनराशि रु० 91534.00 तथा आन्तम अवशेष धनराशि रु० 23587.40 कुल धनराशि
वित्तीय वर्ष 2017-18 के मूल बजट में आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रु० 92613.10 तथा प्रारम्भिक अवशेष रु० 22508.30 कुल मिल सकें।

छोटी-छोटी समस्याओं तथा सीवर सफाई, मनहोल के ढक्कन, जल निकासी आदि का त्वरित निस्तारण कराये गाने का नगरिकों को तात्कालिक राहत
संसाधनों का आकलन कर मुख्य अभियन्ता स्थिति/मानप्रकाश, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, महाप्रबन्धक जलकल निरन्तर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए
समाप्ति ने कहा कि परीक्षण कराकर जिन कार्यों की टेण्डर हो चुके है उनके कार्यादेश निर्गत करा दिये जाये साथ ही निर्देशित किया कि
हो चुकी है उनके बर्क आर्डर जारी कराये जाने हेतु समाप्ति से अनुरोध किया।

प्राप्त था। कतिपय स्थानों पर आवश्यक कार्यों को या तो समाप्त करा दिया गया है या तो कराया जा रहा है। सदस्यों ने जिन कार्यों की निविदाये
श्री महेश्वर व कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के पूर्व कार्यों के टेण्डर दिये थे, परन्तु कार्यादेश जारी नहीं हो
कार्य को भी समाप्त किया गया है।

सरकार को प्रेषित किया जा चुका है, जो अभी विचाराधीन है। उसमें जे.एम.एन.यू.आर.एम. योजना से छूटी सीवर लाइनों को पूर्ण कराये जाने के
नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि ईनेज मरम्मत का कार्य नगामि गंगे योजना के अन्तर्गत कराये जाने हेतु कार्य योजना बनाकर भारत
किया गाने का समाधान हो सके।

समाप्ति ने परीक्षण कराकर गलीपिटों की मरम्मत तथा उसमें जाली लगवाये जाने का कार्य एक माह के अन्दर पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित
दृष्टि होने के कारण जलभराव की समस्या बनी रहती है।
सदस्यों ने गलीपिट की ओर ध्यानकेंद्रित करते हुए अवगत कराया कि कतिपय स्थानों पर गलीपिट में जाली न होने कारण अथवा गलीपिट
कार्यवाही न की जाये।

होने के पश्चात् ही विकसित क्षेत्र को टेकओवर करने की कार्यवाही की जाये। यदि कार्य अर्थात् ही तो किसी भी दशा में योजना को टेक ओवर की
क्षेत्र की जल निकासी, पंचजल, सीवर, सड़क, फुटपाथ एवं अन्य कार्यों का विस्तृत स्थलीय सर्वेक्षण करने के उपरान्त पूर्ण रूप से सर्वे
समाप्ति ने निर्देशित किया कि आवास-विकास परिषद्, कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कराये गये क्षेत्रों को टेकओवर करते समय
कराया जाये गाने का समाधान हो सके।

मरम्मत, जल निकासी, जलभराव की समस्या, गलीपिट का निर्माण, सफाई व्यवस्था, मानप्रकाश व्यवस्था आदि जन समस्याओं का त्वरित समाधान
वर्षों के दौरान यह भी निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में नागरिक समस्याओं के निस्तारण हेतु छोटे-छोटे कार्य तथा सड़क

प्रस्ताव संख्या-1682

प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 2017-18 माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ---

जलकल विभाग
नगर निगम, कानपुर
प्रस्तावित बजट वर्ष : 2017-18

(रु० लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं०	मद विवरण	वास्तविक आय 2015-16	प्रस्तावित आय 2016-17	वास्तविक आय दिसम्बर, 2016	प्रस्तावित आय 2017-18
	अ-	राजस्व आय-				
1100201		जलकर	4903.20	6700.00	4024.78	6530.00
1501011		अतिरिक्त जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	1289.85	1700.00	1121.78	2200.00
1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	1767.30	2700.00	1456.68	2840.00
1408002		अन्य प्राप्तियाँ	53.23	30.00	51.35	45.00
1408001		अधिभार	3.71	10.00	1.84	10.00
1401502		नियमितीकरण	6.26	15.00	2.74	15.00
1401401		विकास शुल्क	92.85	175.00	34.54	120.00
		योग राजस्व-	8116.40	11330.00	6693.71	11760.00
	ब-	असंचालन आय-				
3111301		डिपॉजिट कार्य	842.47	500.00	1210.97	500.00
3112301		अनुदान (विद्युत मद)	-	3000.00	-	3600.00
		कुल आय-	8958.87	14830.00	7904.68	15860.00
3311001	स-	ऋण से प्राप्ति	-	-	-	-
		योग-(अ+ ब+ स)	8958.87	14830.00	7904.68	15860.00
		प्रारम्भिक अवशेष	4429.44	1721.00	4423.38	2668.00
		महायोग -	13388.31	16551.00	12328.06	18528.00

जलकल विभाग
नगर निगम, कानपुर
प्रस्तावित बजट वर्ष : 2017-18

(को लाख में)

लेखा कोड	क्रम	वर्ग विवरण	वार्षिक अथ 2015-16	प्रस्तावित अथ 2016-17	वार्षिक अथ दिसम्बर, 2016	प्रस्तावित अथ 2017-18
	अ-	संचालन अथ -				
2101001	1	अधिष्ठान अथ	6765.92	8245.00	5607.44	10340.00
2302001	2	विद्युत एवं ऊर्जा	230.76	3000.00	42.62	3000.00
2303004	3	पूर्तिथी	275.04	560.00	233.90	520.00
2308007	4	अन्य अथ	42.29	65.00	35.44	70.00
2305006	5	रख-रखाव अथ	616.04	1065.00	655.76	1105.00
2208003	6	जनरल देवथ	455.00	250.00	343.54	250.00
		योग संचालन अथ -	8385.05	13185.00	6918.70	15285.00
	ब-	असंचालन अथ -				
4104007	1	जल मापक यंत्रों का क्रय	-	2.00	-	2.00
4106001	2	मशीनों तथा यंत्रों का क्रय	-	40.00	-	20.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	0.64	10.00	0.60	10.00
4105001	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	-	10.00	-	0.00
4102001	5	भवन निर्माण एवं मर्म	-	15.00	-	10.00
4107006	6	आकस्मिक पूर्वागत अथ	-	30.00	0.64	6.00
4103101	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	-	20.00	-	10.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस	-	45.00	-	0.00
4104003	9	नये पम्पिंग/सीवर पम्प सेट का क्रय	1.78	20.00	-	10.00
3311001	10	ऋण एवं ब्याज का भुगतान	-	6.00	-	0.00
3111301	11	डिपॉजिट कायदा का भुगतान	577.46	500.00	1100.18	500.00
		योग असंचालन अथ -	579.88	698.00	1101.42	568.00
		कुल योग (अ+ब) अथ	8964.93	13883.00	8020.12	15853.00

	अन्तिम अवशेष	4423.38	2668.00	4307.94	2675.00
	महायोग	13388.31	16551.00	12328.06	18528.00

चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा सीवर समस्या की ओर ध्यानाकर्षित किया गया तथा अवगत कराया गया कि सुपरसकर मशीन से अपेक्षाकृत कार्य नहीं लिया जा रहा है, जबकि उसके रख-रखाव एवं संचालन में काफी व्यय किया जा रहा है।

महाप्रबन्धक ने अवगत कराया कि सुपर सकर मशीन के रख-रखाव हेतु ए.एम.सी. की कार्यवाही की जा रही है। सभापति ने महाप्रबन्धक जलकल को निर्देशित किया कि जहाँ पर सीवर जाम की समस्या विकट हो उसकी कार्य योजना तैयार कर सुपरसकर मशीन से क्षेत्र की सीवर सफाई का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जेटिंग मशीन ठीक कराकर योजनाबद्ध तरीके से सीवर सफाई का कार्य कराया जाये ताकि महानगर वासियों को सीवर समस्या से निजात दिलाई जा सके।

नवीन पंडित ने अवगत कराया कि दादा नगर में रॉवाटर की सफाई सही ढंग से नहीं हो पाती है, जिसके कारण पानी की किल्लत है। पम्पिंग स्टेशन पर विगत 9५-9५ वर्षों से एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा है। अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्य करने के कारण दबाव नहीं मानता है।

सभापति ने महाप्रबन्धक को समस्या का शीघ्र निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये।

..... वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रस्तावित बजट में आय पक्ष में प्रस्तावित धनराशि ₹0 15860.00 लाख तथा प्रारम्भिक अवशेष की धनराशि ₹0 2668.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि ₹0 18528.00 लाख एवं व्यय पक्ष में प्रस्तावित धनराशि ₹0 15853.00 तथा अन्तिम अवशेष धनराशि ₹0 2675.00 इस प्रकार कुल 18528.00 को स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-1683

मा0 कार्यकारिणी समिति हेतु प्रस्ताव

विषय :- नगर निगम लखनऊ द्वारा संचालित अमीनाबाद इण्टर कालेज, लखनऊ व म्युनिसिपल गर्ल्स इण्टर कालेज कश्मीरी मोहल्ला लखनऊ तथा कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित 07 माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर के पत्र सं0- मा0/3362-66/2016-17, दिनांक 22.06.2016 द्वारा अवगत कराया गया कि " उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0 शिक्षा अर्थ-4, अनुभाग- इलाहाबाद के पत्र सं0-अर्थ-4/308/2016-17, दिनांक 30.05.2016 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दिभ विद्यालयों के प्रधान एवं शिक्षकों/शिक्षिकाओं के पेंशन समस्या के निराकरण कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 17.03.2016 को शासन स्तर एक बैठक आहूत की गई। बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त यह मत स्थित किया गया कि नगर निगम लखनऊ एवं कानपुर द्वारा संचालित ऐसे माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन/सेवा नैवृत्तिक देयको का भुगतान शिक्षा विभाग से कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में वेतन वितरण अधिनियम 1971 की धारा-13 में संशोधन करते हुए नगर निगम लखनऊ में स्थित उक्त 02 विद्यालयों एवं नगर निगम कानपुर में स्थित 07 विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने हेतु शासनादेश सं0-3581/15-8-92/2009 (1)/87, दिनांक 31 अगस्त, 1992 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आख्या/संस्तुति विशेष वाहक के माध्यम

ह0.....महापौर

से उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये है। अतः शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 1992 एवं उसके साथ संलग्न पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि तत्काल निर्धारित प्रारूप पर अपनी सर्वतुल्य सहित निर्धारित प्रपत्रों को पूर्णकर 03 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के क्रम में मा10 महापौर जी के अनुमोदन दिनांक 27.06.2016 प्राप्त करने के उपरान्त नगर निगम कानपुर द्वारा संवाचित 07 अनुदानित विद्यालय क्रमशः नगर निगम गाँधी स्मारक इण्टर कॉलेज गीतानन्द नगर, नगर निगम श्री रत्न शुकल इण्टर कॉलेज जूही, नगर निगम डी10पी0एस0इण्टर कॉलेज नवागंज, नगर निगम महिला इण्टर कॉलेज सिविल लाइन्स, नगर निगम महिला इण्टर कॉलेज विलक नगर, नगर निगम महिला इण्टर कॉलेज हीरामन पुरवा एवं नगर निगम आर0बी0आर0डी0इण्टर कॉलेज नवागंज के निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर को उपलब्ध करा दिये गये तथा वर्ष 2000-01 से 2005-06 तक की अवधि पर वार्षिक खर्चा रु0 4,12,30,216.00 एवं वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक की खर्चा रु0 31,26,89,317.00 कुल रु0 35,39,19,533.00 एवं अप्रैल 2007 से मार्च 2016 के मध्य सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षिकाओं का मई 2016 तक पेंशन व उपदान पर हुए व्ययभार की खर्चा रु0 9,91,69,546.00 अर्थात् कुल खर्चा रु0 45,30,89,079.00 खर्चा विभाग से नगर निगम को प्राप्त कराने हेतु भी अर्थात् कराया गया है।

तदनुसार प्रस्ताव मा10 कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1684

कार्यालय पत्र संख्या 174/सी.सी./एफ/2016-17 दिनांक निल जी मा10 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनाथर् प्रदान करना/स्वीकृति हेतु नगर निगम से अनुशंसा प्रदान करना-

प्रस्ताव

नगर निगम सीमान्तगत वार्डों में मऊर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु नगर निगम के पास वर्तमान में उपलब्ध व्हीकल माउण्टेड फॉनिंग मशीनों के द्वारा मशी वार्डों में फॉनिंग का कार्य कराना सम्भव नहीं हो पाता है। इस हेतु वर्तमान में जनसंख्या/क्षेत्र में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये 05 नग व्हीकल माउण्टेड फॉनिंग मशीन माडल के-22/10/0 (एस.एस. टैंक) क्रय करना आवश्यक है। इस हेतु डी.जी.एस.एण्डडी. रेट कार्नेक्ट की दरों पर मेसर्स रायल डेड लिक्स प्रा0लि0 नई दिल्ली से प्राप्त प्रौफार्मा इन्वॉइस के आधार पर क्रय करने हेतु कुल रुपया 27,82,688=00 (रुपया सत्ताईस लाख बयासी हजार छः सौ अठारसी मात्र) (मशी करों सहित) के व्यय अनुमान की स्वीकृति/अनुमोदन नगर आयुक्त/मा10 महापौर जी द्वारा क्रमशः दिनांक 28.07.2016 दिनांक 28.07.2016 को मा10 कार्यकारिणी समिति/सदन की स्वीकृत की प्रत्याशा में मेसर्स रायल डेड लिक्स प्रा0लि0 गीतानन्दपुरी, नई दिल्ली के पक्ष में प्रदान की गई है।

मा10 कार्यकारिणी समिति/सदन के स्वीकृतार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1685

कार्यालय पत्र संख्या175/सी.सी./एफ/16-17 दिनांक निल जी मा10 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनाथर् प्रदान करना/स्वीकृति हेतु नगर निगम से अनुशंसा प्रदान करना-

प्रस्ताव

.....महापौर

नगर निगम सीमान्तगत वार्डों में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु नगर निगम के पास वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबुल हैण्ड फागिंग मशीनों के द्वारा सभी वार्डों में फागिंग का कार्य कराना सम्भव नहीं हो पाता है। इस हेतु वर्तमान में जनसंख्या/क्षेत्र में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये 23 नग पोर्टेबुल फागिंग मशीन (माडल आर.पी.एफ-10एस.पी.) क्रय करना आवश्यक है। इस हेतु डी.जी.एस.एण्डडी. रेट कान्ट्रैक्ट की दरों पर मेसर्स रायल ट्रेड लिक्स प्रा0लि0 नई दिल्ली से प्राप्त प्रोफार्मा इन्वाइस के आधार पर क्रय करने हेतु कुल रूपया 16,57,294=00 (रूपया सोलाह लाख सत्तावन हजार दो सौ चौरान्बे,मात्र) (सभी करों सहित) के व्यय भुगतान की स्वीकृति /अनुमोदन नगर आयुक्त/मा0 महापौर जी द्वारा क्रमशः दिनांक 28.07.2016 दिनांक 29.07.16 को मा0 कार्यकारिणी समिति /सदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में मेसर्स रायल ट्रेड लिक्स प्रा0लि0 गोविन्दपुरी, नई दिल्ली के पक्ष में प्रदान की गई है।

मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन के स्वीकृतार्थ प्रस्ताव सादर प्रस्तुत है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1686

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/114/न0आ0/प्रोजेक्ट-सेल/16-17, दिनांक 06.09.2016 के क्रम में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित।

:- प्रस्ताव -:

कानपुर नगर स्थित जाजमऊ में 36 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. के संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत नगर निगम द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में मा. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशों के अनुक्रम में टेनरी वेस्ट हेतु स्थापति प्लान्ट के संचालन एवं रख रखाव हेतु निदेशालय के पत्र संख्या 438(3) सीजीए/नौ-5-16-बैठक सामान्य/2015 दिनांक 17 मई 2016 द्वारा दिये गये निर्देश एवं महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर द्वारा किये गये अनुरोध पर जनहित एवं कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा रू. 50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त /भुगतान किये जाने की स्वीकृति दिनांक 05.09.2016 को प्रदान की गयी है, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1687

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/125/न0आ0/प्रोजेक्ट-सेल/16-17, दिनांक 06.10.2016 के क्रम में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित।

:- प्रस्ताव -:

कानपुर नगर स्थित जाजमऊ में 36 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. के संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत नगर निगम द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में मा. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशों के अनुक्रम में टेनरी वेस्ट हेतु स्थापति प्लान्ट के संचालन एवं रख रखाव हेतु निदेशालय के पत्र संख्या 438(3) सीजीए/नौ-5-16-बैठक सामान्य/2015 दिनांक 17 मई 2016 द्वारा दिये गये निर्देश एवं महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर द्वारा किये गये अनुरोध पर जनहित एवं कार्य की आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा रू. 50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त /भुगतान किये जाने की स्वीकृति दिनांक 06.10.2016 को प्रदान की गयी है, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

कीड़ा विभाग
कानपुर नगर निगम

माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ निम्नवत प्रस्ताव प्रस्तुत है:-

दिनांक 06.02.2016 को हुई मा10 कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव संख्या-1226, 1227 व 1228 पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया था कि पहले नीति निर्धारित कर ली जाये जिससे खेलों को समुचित प्रोत्साहन मिल सके और नगर निगम का राजस्व हिल भी सुरक्षित रहे। इस खेल नीति को बनाने हेतु मा10 महापौर जी द्वारा मा10 पाठदो की एक कमेटी बनायी जिसमें सर्व श्री सत्येन्द्र मिश्रा, श्री हज्जी सुहैल अहमद उप सम्पाति एवं श्री अशोक चन्द विवासी की कमेटी द्वारा दिनांक 23अगस्त 2016 को खेल नीति को अंतिम रूप देते हुए मा10 कार्यकारिणी की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत है:-

प्रस्ताव
खेल-नीति

कीड़ा विभाग नगर निगम के अन्तर्गत पालिका रस्ट्रियम, स्ब0 रतनलाल शर्मा स्मारक कीड़ा स्थल, किरवई नगर, नानाराव पार्क स्थित तरणताल, दुर्गीगंज नगर निगम स्कूल में तरणताल व कारगिल पार्क मीठीझील में रकटिंग रिग आदि खेलों के आयोजन हेतु स्थान है जिनको खेल नीति के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा।

1- उद्देश्य:- नगर निगम कानपुर के कीड़ा स्थलों का उपयोग खेल-कूद उपकरणों के साथ साथ इनका मन्टीनेन्स हेतु कीड़ा बजट को समय समय पर बढ़ाते हुए खेलों के आयोजन को मजबूत कर देते हुए खेलों के नागरिकों को उच्च कोटि की खेल सुविधा दिलाना।

2- प्रतियोगिताएं:- नगर निगम कानपुर के रस्ट्रियम/तरणताल/रकटिंग रिग पर सभी खेलों की प्रतियोगिता प्रति वर्ष जैसे क्रिकेट, कैरम, टी0टी0, बैराकी, रकटिंग नगर निगम विद्यालयीय खेलकूद, मा10 पाठदो नगर निगम आधिकारी हेतु कीड़ा प्रतियोगिता करना, को मजबूत कर देते हुए कीड़ा विभाग को इसके लिये समय समय पर प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करना। उल्लेख प्रदत्त के समस्त नगर निगमों के भी आपस में खेल प्रतियोगिता करना, नगर निगम टीमों को प्रदेश में होने वाली खेल प्रतियोगिता में भेजना, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को बुलाकर इनके अनुभव का लाभ खेलों के बच्ची को दिलाना और नगर निगम का इस क्षेत्र में प्रचार करना जिसके लिये नगर निगम उच्चतम खिलाड़ी को आने-जाने का किराया रहना आदि का व्यय वहन करेगी।

3- अनुबन्ध:- रस्ट्रियम, तरणताल व रकटिंग रिग पर खेलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था नगर निगम द्वारा नहीं की जाती है क्योंकि कर्मचारियों व प्रशिक्षकों का न होना और खेलों के नागरिकों को खेलों का उच्च कोटि की प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी व एन0अई0एफ0/ बी0सी0एफ0अई0 प्रशिक्षकों के साथ निम्नलिखित नियमों व शर्तों के साथ अनुबन्ध करके खेल को रस्ट्रियमों पर कराने व इसका प्रचार कराने में नगर निगम की जिम्मेदारी होगी।

- 1- कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास होने के उपरान्त व अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुबन्ध किया जायेगा परन्तु किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप से एक महीने की पूर्व सूचना देकर बिना कारण बताये इसे समाप्त किया जा सकता है।
- 2- अगले वर्ष के लिये और मांगने पर पूर्व वर्ष के कार्य को संतोषजनक पाये जाने पर दूसरे वर्ष कार्यकारिणी की अनुमति से एकाडमी को चलाने के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ किराया जमा करना होगा।
- 3- यह कि प्रथम पक्ष के पार्श्वदो, अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों एवं गरीब बच्चों को प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जायेगा जिसकी सूची क्रीड़ा विभाग द्वारा समय समय पर दी जायेगी।
- 4- अनुबन्ध के उपरान्त एकाडमी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये जो भी उपकरण इत्यादि का उपयोग होगा वह अपने स्तर से भी सुनिश्चित करेगा कि खिलाड़ियों के उत्थान तथा उनकी खेल प्रतिभा का सर्वांगीण विकास तथा खेलने के उन्नयन एवं संबर्द्धन करने हेतु सभी प्रकार के हर सम्भव आवश्यक प्रयास सुनिश्चित किये जायेगे।
- 5- खेल से सम्बन्धित नियमो, विनियमो एवं अपेक्षित अनुशासन एवं व्यवस्थाओ को कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- यह कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के कानपुर नगर निगम क्रीड़ा विभाग में कार्यरत सहायक क्रिकेट प्रशिक्षक के निर्देशानुसार कोचिंग/प्रशिक्षण का कार्य संचालित करेगा और वह प्रथम पक्ष के अधिकारियों/कर्मचारियों के तत्सम्बन्धी कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
- 7- एकाडमी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार स्टेडियमो व पार्को के अन्दर नहीं किया जायेगा।
- 8- यह कि अनुशासनहीनता एवं अनियमितता पाये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जायेगा।
- 9- यह कि उपरोक्त शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर अनुबन्ध निरस्त कर दे।
- 10- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी एवं एन0आई0एस0 डिप्लोमा होल्डर प्रशिक्षको के साथ नगर निगम कानपुर प्रशिक्षण दिलाने के लिये अनुबन्ध अपनी शर्तों पर करेगी।
- 11- यह कि उपरोक्त शर्तों से सम्बन्धित किसी विवाद की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर को संदर्भित किया जायेगा और उनका ही निर्णय अंतिम होगा।

स्टेडियम, तरणताल आदि की आवंटन दरें संलग्न है।

पालिका स्टेडियम/किदवई नगर स्टेडियम पर विभिन्न स्तर के खेलों हेतु क्रीड़ागनों/तरणताल एवं आवासीय कमरों के आरक्षण में प्रयोग की जाने वाली संशोधित दरें निम्नवत् है:-

क्र० सं०	खेलों के नाम	प्रति मैच (मैटिंग विकेट)	प्रति मैच टर्फ विकेट	बिजली प्रतिदिन	सफाई प्रतिदिन	प्रति टेन्ट प्रतिदिन	अभ्यास/ट्रायल /खेलकूद संघ /संस्थान क्लब नेट अभ्यास प्रति घंटा	प्रशिक्षण शुल्क प्रत्येक खेलों का प्रत्येक व्यक्ति

प्रधानी वरें	नई वरें	प्रधानी वरें	नई वरें	प्रधानी वरें	नई वरें	प्रधानी वरें	नई वरें	प्रधानी वरें	नई वरें	प्रधानी वरें	नई वरें	प्रधानी वरें	नई वरें	प्रधानी वरें	नई वरें	प्रधानी वरें	नई वरें	प्रधानी वरें	नई वरें
--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------

अ-स्थानीय	700	770	1000	1100	1000	300	350	30	35	20	25	50	100						
ब-राज्य स्तरीय	800	880	1200	1320	300	350	30	35	20	25	50	100							
ब-राज्य स्तरीय	800	1000	1100	1500	1650	300	350	30	35	20	25	50	100						
द-आन्तराष्ट्रीय स्तर	10000	10000	11000	10000	11000	300	350	30	35	20	25	50	100						
ब-राज्य स्तरीय खंड संघ	300	330	500	500	300	350	30	35	20	25	50	100							
काला																			
उ-सर्वोच्च एवं छिट्या	1000	1100	1500	1650	300	350	30	35	20	25	50	100							

2. हाकी, फुटबाल, हॉकी, बॅडमिंटन, वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल

प्रति संघ	300	350	30	35	20	25	50	100	350
-----------	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----

अ-स्थानीय	100	110	300	350	30	35	20	25	50	100									
ब-राज्य स्तरीय	300	330	300	350	30	35	20	25	50	100									
ब-राज्य स्तरीय	800	880	300	350	30	35	20	25	50	100									
द-आन्तराष्ट्रीय स्तर	3000	3000	300	350	30	35	20	25	50	100									
ब-राज्य स्तरीय खंड संघ / नगर निगम स्कूल / काला	50	55	300	350	30	35	20	25	50	100									

3. एथलेटिक्स / स्वयंसेवा / टेबल टेनिस / बैडमिंटन, वीरनादवाजी आणि

प्रति संघ	300	350	30	35	20	25	50	100	350
-----------	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----

अ-स्थानीय	500	550	300	350	30	35	20	25	50	100									
ब-राज्य स्तरीय	750	525	300	350	30	35	20	25	50	100									

अ-राज्य स्तर	2000	2200	300	350	30	35	20	25	50	100									
ब-आन्तराष्ट्रीय स्तर	5000	5500	300	350	30	35	20	25	50	100									

	घ- स्थानीय खेल संघ / नगर निगम स्कूल / कालेज	200	220			300	350	30	35	20	25	50	100		
4.	जिमनास्टिक / कुश्ती / कबड्डी / जूडो / खो-खो / ताइक्वाइन्डो / शूटिंग बाल / तलवार बाजी / कराटे / कैरम एवं शतरंज आदि														
		प्रति मैच													350
	अ- स्थानीय	200	220			300	350	30	35	20	25	50	100		
	ब- राज्य स्तरीय	350	385			300	350	30	35	20	25	50	100		
	स- राष्ट्रीय स्तर	800	880			300	350	30	35	20	25	50	100		
	द-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	2000	2200			300	350	30	35	20	25	50	100		
	घ- स्थानीय खेल संघ / नगर निगम स्कूल / कालेज	100	110			300	350	30	35	20	25	50	100		
5.	वेटलिफ्टिंग / बाक्सिंग														
		प्रति मैच													
	अ- स्थानीय	200	220			300	350	30	35	20	25	50	100		
	ब- राज्य स्तरीय	500	550			300	350	30	35	20	25	50	100		
	स- राष्ट्रीय स्तर	800	880			300	350	30	35	20	25	50	100		
	द-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	3000	3300			300	350	30	35	20	25	50	100		
	घ- स्थानीय खेल संघ / नगर निगम स्कूल / कालेज	100	110			300	350	30	35	20	25	50	100		
6.	खेलकूद से सम्बन्धित पी0टी0 रैली आदि														
		प्रति मैच													
	अ- स्थानीय	500	550			300	350	30	35	20	25	50	100		
	ब- राज्य स्तरीय	1000	1100			300	350	30	35	20	25	50	100		
	स- राष्ट्रीय स्तर	3000	3300			300	350	30	35	20	25	50	100		
	द-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	5000	5500			300	350	30	35	20	25	50	100		

7.												
तरपातल												
ए- स्थानीय खेळ / नगर निगम	एकल / कोल	प्रतिदिन	नई दर	प्रतिदिन	कमरा व	माईक के	प्रयोग हेतु	कवल पुरानी	दर	प्रतिदिन	नई दर	अभ्यास / खेळ / संस्था / क्लब
प्रतिदिन	पुरानी	नई दर	प्रतिदिन	कमरा व	माईक के	प्रयोग हेतु	कवल पुरानी	दर	प्रतिदिन	नई दर	अभ्यास / खेळ / संस्था / क्लब	
ए- स्थानीय	2000	2200	300	350	50	50	50	50	100			
ब- राज्य स्तरीय	2500	2750	300	350	50	50	50	50	100			
ग- राष्ट्रीय स्तर	3500	3850	300	350	50	50	50	50	100			
द- अन्तर्राष्ट्रीय	8000	8800	300	350	50	50	50	50	100			
ए- स्थानीय खेळ / नगर निगम	1000	1100	-	300	-	350	50	50	100			
एकल / कोल												
पुरानी	नई दर											
रजिस्ट्रेशन शुल्क	400	450										
वार्षिक	600	650										
मासिक												
सदस्यता शुल्क												
हेल्थीय प्रशिक्षण	50	60										
प्रति घंटा												
प्रशिक्षण शुल्क	500	550										
प्रतिमास												
आई क्लब	10	-										
सदस्यता शुल्क	10	-										

पुरानी दर

नई दर

1. कमरा
2. हाल

रुपया-100 प्रतिदिन
रुपया- 500 प्रतिदिन

रुपया- 150.00 प्रति दिन
रुपया- 550.00 प्रति दिन

विशेष:-

1. माननीय महापौर/नगर आयुक्त उपरोक्त अंकित दरों पर समयानुसार अपना निर्णय दे सकते हैं जिसका अनुपालन किया जायेगा।
2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को निःशुल्क अभ्यास की सुविधा दी जायेगी।
3. अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर एवं एन0आई0एस0 डिप्लोमा धारक से खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु अनुबन्ध किया जायेगा।
4. उपरोक्त दरों पर 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स भी देय होगा।

..... समिति ने निर्णय लिया कि कमरा का किराया प्रस्तावित किराया रू0 150/- प्रतिदिन के स्थान पर रू0 200/- प्रतिदिन तथा हॉल के प्रस्ताविक किराये 550/- प्रतिदिन के स्थान पर रू0 1000/- किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यालय मुख्य अभियंता
नगर निगम, कानपुर

दिनांक 07.10.16

पत्रांक :डी/303/मु0अभि0/16-17

नामकरण समिति के निर्णयार्थ प्रस्तावों की आख्या।

प्र0सं0	प्रस्तावक	प्रस्ताव	खण्ड से प्राप्त आख्या	निर्णय
1689	श्री बी0एस0बेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्था आप और हम, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्त संगठन	शिक्षक पार्क के पास परेड चौराहे में शहीद सरदार भगत सिंह, राजगुरु, एवं सुखदेव की प्रतिमा लगाकर वीर शहीद चौक की स्थापना करने विषयक प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है।	खण्ड की आख्या में परेड चौराहा का नाम आजादी के पूर्व सेही काफी प्रचलित एवं परेड मैदान से सटा है। अतः पूर्व प्रचलित यनाम बदलना जनहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। परेड चौराहा शहर के मुख्य मार्ग एम0जी0 मार्ग पर अत्यन्त व्यस्ततम चौराहा है वहाँ पैडस्टल बनाकर मूर्ति स्थापित किये जाने से यातायात बाधित होगा।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में प्रस्तावित स्थल पर मूर्ति की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मूर्ति स्थापना हेतु अन्य स्थल यथा नानाराव पार्क फूलबाग में स्थल चिन्हित करने हेतु निर्णय लिया गया।
1690	मा0 पार्षद श्री कृष्ण स्वरूप पाण्डेय, श्री गोपी	एम0 ब्लाक किदवई नगर सेन्ट्रल बैंक के सामने स्थित उद्यान का नामकरण स्व0 चेतना शर्मा	उद्यान अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या कि प्रश्नगतपार्क का नामकरण वर्तमान में किसी यनाम से नहीं है।	स्वीकृत प्रदान की गई

ह0.....महापौर

कृष्ण शोभन एवं श्री हेमन्त द्विवेदी।	उप महापौर के नाम से किये जाने विषयक प्रस्ताव जो मा० महापौर जी द्वारा पेशांकित है।	अतः पार्क का नाम बेलना शर्मा उद्यान रखे जाने हेतु मा० कार्यकारिणी समिति को संख्यति सहित प्रेषित है।
1691	मा० पार्षद श्री विनय अग्रवाल, भारत के महान संत, विनयक एवं महापुरुष स्वामी विवेकानन्द जी की 185 वीं जन्मशताब्दी पर नीतिगत निर्णय लिया जाना है जो मा० कार्यकारिणी समिति के निर्वाहार्थ प्रेषित है।	खुब से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रश्नगत प्रस्ताव संख्यति अगली कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत करें।

मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनाएं प्रेषित- जोन (2)

क्र.सं०	कार्य का नाम	मद	आगमन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/धर्म का नाम	निर्णय
1692	जोन-2 वार्ड 77 में खाम नगर में बरसाना अपार्टमेंट से मा० 279वीं तक सड़क व नाली का कार्य।	राज्य	984302.00	836657.00	15 प्रतिशत	मा० आर्य कान्त० क०	पढ़ा गया
1693	जोन-2 वार्ड 95 के अन्तर्गत गांधी गार्डन्ड में पुलिस चौकी से सुवालाना स्कूल तक इन्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	राज्य	1497505.00	1272879.00	15 प्रतिशत	मा० राधे राधे कान्त० क०	पढ़ा गया
1694	जोन-2 वार्ड 66 के अन्तर्गत ल्हालीपुरवा में प्राथमिकी स्कूल से राकेश के मकान होते हुए रामबाबू के मकान एवं लकी के मकान तक नाली एवं इन्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	राज्य	1175770.00	999404.00	15 प्रतिशत	मा० निधि एउड निधि इ० प्र०	पढ़ा गया
1695	जोन-2 वार्ड 66 के अन्तर्गत गंगा बिहार क्रीड़ा कालोनी में खर्शीद आलम के घर से मिश्रा ट्रेडिंग कम्पनी तक इन्टरलॉकिंग टाइल्स का कार्य।	राज्य	591583.00	502845.00	15 प्रतिशत	विशिका विन्डर्स	पढ़ा गया
1696	जोन-2 वार्ड 44 के अन्तर्गत जाजमऊ मकान मस्जिद के सामने सुल्तान से दानिश के मकान तक नाली एवं इन्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	राज्य	1068051.00	907843.00	15 प्रतिशत	मा० बी एच कान्त०	पढ़ा गया
1697	जोन-2 के अन्तर्गत सड़की के बीच मरम्मत कराये जाने हेतु एसाईबीसी की आपूर्ति का कार्य।	राज्य	897120.00	762552.00	15 प्रतिशत	मा० वागदत्ता इ० प्र०	पढ़ा गया
1698	जोन-2 वार्ड 71 के अन्तर्गत खाम नगरपाल मिश्रा के मकान से ग्यानी के मकान तक व राज कम्पार्टर से बाल द्विवेक उनायल स्टीर तक इन्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य	857324.00	728725.00	15 प्रतिशत	मा० बी एच कान्त०	पढ़ा गया

1699	जोन-2 वार्ड 71 के अन्तर्गत गांधीग्राम में पी०एन० त्रिवेदी के मकान से एस०अआर० दुबे के मकान होते हुये प्रदीप अवरथी के मकान तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क व नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	980315.00	833268.00	15 प्रतिशत निम्न	मे० अजय इ० प्रा०	पढ़ा गया
1700	जोन-2 वार्ड 70 के अन्तर्गत जे०के०-1 दुर्गा मन्दिर लाल टंकी चौराहे की ओर साइट पटरी पर फरीनीति के अन्तर्गत इ० कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1166888.00	991855.00	15 प्रतिशत निम्न	मे० सुरेन्द्र कुशवाहा	पढ़ा गया
1701	जोन-2 वार्ड 19 के अन्तर्गत महेरबानपुरवा में गणेशपुर मुख्य मार्ग से (200मी०) पहले से शिवकुमार पाल के मकान तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	999941.00	849950.00	15 प्रतिशत निम्न	मे० राधे राधे कान्स० क०	पढ़ा गया
1702	जोन-2 वार्ड 30 के अन्तर्गत राजीव नगर में पवन तनय स्कूल से अशोक मेडिकल स्टोर तक आर०सी०सी द्वारा नाली का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1203171.00	1022695.00	15 प्रतिशत निम्न	मे० एच० बी० कान्स०	पढ़ा गया
1703	जोन-2 वार्ड 29 के अन्तर्गत लाल बंगला रोड स्थित पारस लैडर से गुरुद्वारा तक सिबू के मकान से विद्या निकेतन कालेज तक नाली व इण्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	746301.00	634356.00	15 प्रतिशत निम्न	मे० एच० बी० कान्स०	पढ़ा गया
1704	जोन-2 वार्ड 44 के अन्तर्गत पेप्सी रोड के पास ब्लॉक नं० 133 सी से ब्लॉक नं० 133डी पाथा श्री चन्द्र तिवारी के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1132131.00	962311.00	0.10 प्रतिशत निम्न	मे० सुरेन्द्र कुशवाहा	पढ़ा गया
1705	जोन-2 वार्ड 19 के अन्तर्गत छतिमरा मेन रोड से नन्दू प० के मकान व नरेश के मकान से रामबाबू धोबी के मकान तक इ० टाइल्स व नाली का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	733685.00	623632.00	15 प्रतिशत निम्न	मे० इण्डिया ट्रेडर्स	पढ़ा गया
1706	जोन-2 वार्ड 44 के अन्तर्गत नया फ्रेंसी स्टोर से मेराज भाई व मकसूद के मकान से तबजीम भाई के मकान तक इ० टाइल्स एवं नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	899060-00	764201-00	15 प्रतिशत निम्न	मे० सोना इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
1707	जोन-2 वार्ड 39 के अन्तर्गत आवास विकास हंसपुरम् पाइनिअर स्कूल से (नहर की साइड पटरी पर) मकान नं० 19ए तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा रोड का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	812104-00	690288-00	15 प्रतिशत निम्न	मे० रिषिका विल्डर्स	पढ़ा गया
1708	जोन-2 वार्ड 39 के अन्तर्गत भगवती गेस्टहाउस से मकान नं० 3ए/443 होते हुए 3ए/373 तक नाली एवं इ० टाइल्स द्वारा रोड का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	971274-00	825583-00	15 प्रतिशत निम्न	मे० अभय मंगलम् कॉ०	पढ़ा गया
1709	जोन-2 वार्ड 39 के अन्तर्गत द्विवेदी नगर में मुख्य मार्ग से चन्देल के मकान तक आर०सी०सी० द्वारा नाली का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	807557-00	686423-00	15 प्रतिशत निम्न	मे० रोहित ट्रेडर्स	पढ़ा गया
1710	जोन-2 वार्ड 39 के अन्तर्गत आवास विकास हंसपुरम् मकान नं० 3ए/313, 344, 323 होते हुए 3ए/332 तक नाली एवं रोड का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	796061-00	676652-00	15 प्रतिशत निम्न	मे० रोहित ट्रेडर्स	पढ़ा गया
1711	जोन-2 वार्ड 71 के अन्तर्गत विनोबा नगर में आर० जी० प्रसाद के मकान से ट्रांसफार्मर तक इ० टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त	932801-00	792881-00	15 प्रतिशत निम्न	मे० कृष्णा कॉन्स० क०	पढ़ा गया

				आयोग					
				राज्य वित्त		689033-00	585678-00	15 प्रतिशत	शे 0 निधि एवं शे 0 मिला
				आयोग					
				राज्य वित्त		739066-00	628206-00	15 प्रतिशत	शे 0 प्रचो वी 0 कॉन्टो
				आयोग					
				राज्य वित्त		67553-00	575920-00	15 प्रतिशत	शे 0 पारस रूबर्स
				आयोग					
				राज्य वित्त		1076884-00	915351-00	15 प्रतिशत	शे 0 आर्थिक शे 0 मिला
				आयोग					
				राज्य वित्त		1458962.00	1240118.00	15 प्रतिशत	शे 0 परिवार शे 0 मिला
				आयोग					
				राज्य वित्त		1204529.00	1023850.00	15 प्रतिशत	शे 0 परिवार शे 0 मिला
				आयोग					
				राज्य वित्त		1450685.00	1233082.00	15 प्रतिशत	शे 0 निधि शे 0 मिला
				आयोग					
				राज्य वित्त		1492122.00	1268304.00	15 प्रतिशत	शे 0 गोशु एवं शे 0 क
				आयोग					
				राज्य वित्त		1397465.00	1187845.00	15 प्रतिशत	शे 0 मदीय निधिस
				आयोग					
				राज्य वित्त		1478000.00	1256300.00	15 प्रतिशत	शे 0 परिवार शे 0 मिला
				आयोग					
				राज्य वित्त		1464673.00	1244972.00	15 प्रतिशत	शे 0 केशव काश
				आयोग					
				राज्य वित्त		1192324.00	1013475.00	15 प्रतिशत	शे 0 सुवेद कुशाहा

1724	जोन-2 वार्ड 19 के अन्तर्गत छतमरा में रावसेवक के मकान से काली मन्दिर व गोरिलाल के मकान से मेवालाल के मकान तक इ0 द्वारा टाइल्स व रोड का सुधार कार्य	राज्य वित्त आयोग	1494963.00	1270718.00	15 प्रतिशत निम्न	मे0 लॉयन कान्स0	स्वीकृत
1725	जोन-2 वार्ड 86 के अन्तर्गत रसूलाबाद में एन एच 25 से मे0 महताब नसीम कुरैशी एवं जहीर अहमद व सलमान के घर तक नाली व इन्टरलाकिंग का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1498303.00	1273558.00	15 प्रतिशत निम्न	मे0 एस0एम0ए0 ट्रेडर्स	स्वीकृत
1726	जोन-2 वार्ड 86 के अन्तर्गत डीएन तिवारी के मकान से शीतला बाजार रोड तक इ0 टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1330498.00	1130923.00	15 प्रतिशत निम्न	रिषिका बिल्डर्स 9415130479	स्वीकृत
1727	जोन-2 वार्ड 66 के अन्तर्गत के0डी0ए0 चौराहे से श्री महताब आलम के मार्केट तक साइड पटरी पर इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1499744.00	1274782.00	15 प्रतिशत निम्न	मे0 निधि एण्ड निध इ0 प्रा0	स्वीकृत
1728	जोन-2 वार्ड 70 के अन्तर्गत जे0के0-1 दुर्गा मन्दिर लाल टंकी चौराहे की ओर एयरफोर्स बाउन्ड्री के किनारे साइट पटरी पर फरीनीति के अन्तर्गत इ0 कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1411425.00	1199711.00	15 प्रतिशत निम्न	रिषिका बिल्डर्स	स्वीकृत
1729	जोन-2 वार्ड 70 के अन्तर्गत जे0के0-1 दुर्गा मन्दिर लाल टंकी चौराहे तक इ0 द्वारा साइड पटरी का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1481000.00	1258850.00	15 प्रतिशत निम्न	मे0 वी एच कान्स0	स्वीकृत
1730	जोन-2 वार्ड 86 जाजमऊ के यू0पी0 कम्पाउण्ड में शमशाद अहमद के मकान से मे0 नदीम के मकान होते हुये जामिया मस्जिद से मे0 अजीज के घर तक इन्टरलाकिंग द्वारा रोड व नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1399562.00	1189628.00	15 प्रतिशत निम्न	रिषिका बिल्डर्स	स्वीकृत
1731	जोन-2 वार्ड 71 के अन्तर्गत नगीना सिंह सरदार के मकान से ज्ञान राष्ट्रीय स्कूल होते हुये गाँधी पार्क तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1315890.00	1118506.00	15 प्रतिशत निम्न	मे0 वी एच कान्स0	स्वीकृत
1732	जोन-2 वार्ड 86 के अन्तर्गत गज्जूपुरवा मक्कू शहीद भटवा(मलिनबरती) में शमीम भाई के मकान से मंसूर भाई की परचून की दुकान तक इ0 व नाली का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1385000.00	1177250.00	15 प्रतिशत निम्न	मे0 रामकिशोर	स्वीकृत
1733	जोन-2 वार्ड 19 के अन्तर्गत भाभा नगर गेट से प्रमोद सिंह के मकान होते हुये दुर्गा मन्दिर तक आरसीसी द्वारा नाले का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1498595.00	1273806.00	15 प्रतिशत निम्न	मे0 ओम प्रकाश मंगलानी	स्वीकृत
1734	जोन-2 वार्ड 19 के अन्तर्गत मेहरबानपुरवा में महिपत सिंह यादव के मकान से गणेशपुर मुख्य मार्ग से (200मी0) पहले तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1491625.00	1267881.00	15 प्रतिशत निम्न	मे0 ओम प्रकाश मंगलानी	स्वीकृत
1735	जोन-2 वार्ड 10 के अन्तर्गत लल्लू साहनी के मकान से अरविन्द कुशवाहा के मकान तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1498233.00	1273498.00	15 प्रतिशत निम्न	आर0 के0 द्विवेदी इ0 प्रा0	स्वीकृत
1736	जोन-2 वार्ड 19 के अन्तर्गत सनिगवाँ भाभा नगर में मेन रोड से ध्रुवसिंह के मकान तक नाली का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1489100.00	1265735.00	15 प्रतिशत निम्न	मे0 त्रिकूट इ0 प्रा0	स्वीकृत

1737	स्वीकृत	15 प्रतिशत	निम्न	1271927.00	1496385.00	राज्य वित्त आयोग	जोन-2 बार्ड 19 के अन्तर्गत गोरिया में विवाहकुमार के मकान से कुआँ तक इन्टरलॉकिंग व टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।
1738	स्वीकृत	15 प्रतिशत	निम्न	1137387.00	1338102.00	राज्य वित्त आयोग	जोन-2 बार्ड 67 के अन्तर्गत धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय के मकान से एनएच-2 से दरियाल सिंह के मकान तक आर० सी०सी० नाले का निर्माण कार्य।
1739	स्वीकृत	15 प्रतिशत	निम्न	1166570.00	1372435.00	राज्य वित्त आयोग	जोन-2 बार्ड 86 के अन्तर्गत अलबदर मस्जिद से इस्कान के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अभियन्ता खण्ड-3 के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों के स्वीकृतीपरान्त नगर निगम आर्थनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनापूर्व प्रस्तुत है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	मद	आगमन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	उत्तर का नाम
1740	जोन 03 बार्ड 36 के अन्तर्गत अर्पा विनोबा में अधिशंकर मिश्रा के मकान से एलए नो 36 तक नाली एवं इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	990586.00	15.00% निम्न	841997.00	मंसूर एच० पी० पी० एच० कान्फ०
1741	जोन 03 बार्ड 80 के अन्तर्गत सुबल सिंहकेल स्टार डे० इन्फ० एच०-466 से सिन्धु इन्टरनेशनल स्कूल तक इन्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं साइड पट्टी तथा नाली का सुधार कार्य।	निधि	958177.00	15.00% निम्न	814450.00	मंसूर सिविका विन्डर्स
1742	जोन 03 बार्ड 83 के अन्तर्गत रामोदर नगर में पी० नरेशचन्द्र उल्लम उपनगर विधान परिषद उ०ख० समाजवादी पार्टी के आवास से ओरियन्ट इन्स्टिट्यूट होते हुए पी० नो 5 बर्ल-2 पूर्वी तक एवं मनीष मधीरिया के मकान से माही सिंहकेल स्टार डे० इन्फ० एच०-2 (243) तक इन्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	998903.00	15.00% निम्न	849067.00	मंसूर डेल्टा डेव्लपर्स
1743	जोन-3 बार्ड 96 के अन्तर्गत मकान नो 132/398 हरुआ सिंदान के पास सड़क व नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	687870.00	15.00% निम्न	584689.00	मंसूर लाईन कान्फ०
1744	जोन 03 बार्ड 55 के अन्तर्गत किदवई नगर डम्प के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर एच० डी० सी० आर्पि का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	988790.00	15.00% निम्न	840471.00	मंसूर एन० डी० डे०
1745	जोन-3 बार्ड 55 के अन्तर्गत के ब्लॉक स्थित मकान नो 128/62 से किरन प्रोसेस तक साइड पट्टी का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1060167.00	15.00% निम्न	901141.00	मंसूर आर्श कान्फ०
1746	जोन 03 बार्ड 88 के अन्तर्गत कट्टी गांव के पास सामुदायिक / सांघातिक शौचालयों का निर्माण कार्य।	स्वच्छ भारत मिशन	794500.00	15.00% निम्न	752788.75	मंसूर विद्याल कान्फ०

1747	जोन 03 वार्ड 88 के अन्तर्गत करही रोड मलिन बरती के पास सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य।	स्वच्छ भारत मिशन	794500.00	15.00% निम्न	752788.75	मेसर्स विशाल कान्स0	पढ़ा गया
1748	जोन 03 वार्ड 88 के अन्तर्गत जे सेक्टर के पास सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य।	स्वच्छ भारत मिशन	794500.00	15.00% निम्न	752788.75	मेसर्स विशाल कान्स0	पढ़ा गया
1749	जोन 03 वार्ड 81 के अन्तर्गत राम गोपाल चौराहे पर सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य।	स्वच्छ भारत मिशन	794500.00	15.00% निम्न	794420.55	मेसर्स एस0 एस0 ई0 प्रा0	पढ़ा गया
1750	जोन 03 वार्ड 81 के अन्तर्गत बाजपेई ट्रेडिंग कम्पनी के पास सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य।	स्वच्छ भारत मिशन	794500.00	15.00% निम्न	766692.5	मेसर्स पी0 पी0 ई0 प्रा0	पढ़ा गया
1751	जोन 03 वार्ड 81 के अन्तर्गत आई दालमोट कम्पनी के पास सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य।	स्वच्छ भारत मिशन	794500.00	15.00% निम्न	766692.5	मेसर्स पी0 पी0 ई0 प्रा0	पढ़ा गया
1752	जोन 03 वार्ड 81 के अन्तर्गत आई ब्लॉक नाले के बगल में सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य।	स्वच्छ भारत मिशन	794500.00	15.00% निम्न	766692.5	मेसर्स पी0 पी0 ई0 प्रा0	पढ़ा गया
1753	जोन 03 वार्ड 90 के अन्तर्गत ई0 ब्लॉक में म0न0-128/233 से 128/120 और म0न0-128/105 से 128/230 तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	601187.00	15.00% निम्न	511008.00	मेसर्स आर्यवृत ट्रेडिंग कं0	पढ़ा गया
1754	जोन 03 वार्ड 24 के अन्तर्गत डब्लू ब्लॉक केशव नगर मे आदर्श पार्क के सामने एवं म0न0-127/415 से म0न0-127/426 तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा साइड पटरी एवं नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	997647.00	15.00% निम्न	847999.00	मेसर्स कामदगिरि ई0 प्रा0	पढ़ा गया

स्वीकृतार्थ प्रस्ताव

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अभियन्त्रण खण्ड-3 के अन्तर्गत निम्नान्वित कार्यों के स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकेदार का नाम	निर्णय
1755	जोन-3 वार्ड-55 के अन्तर्गत के ब्लॉक स्थित मा0 पार्सद के घर के सामने वाली सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1312338.00	15.00% निम्न	1115487.00	मेसर्स आशू कान्स0 कं0	स्वीकृत
1756	जोन-3 वार्ड-55 के अन्तर्गत मकान नं0 533 अशोक गुप्ता से मा0 पार्सद म0 के आवास होते हुए मकान नं0 547 तक फुटपाथ एवं नाली का	राज्य वित्त आयोग	1277522.00	15.00% निम्न	1085893.00	मेसर्स इण्डिया ट्रेडर्स	स्वीकृत

ह0.....महापौर

क्र.सं०	कार्य का नाम	शुद्ध	आगतान धनांक	धर्म का नाम	निर्णय
1761	गणतन्त्र दिवस, महाहिवापुराण एवं हीली इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर माता प्रकाश अति आवाशकता एवं महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए जैन-4, 5 एवं 6 हेतु 3000 नम साहित्यम लेम 250 वाट (टी) कय हेतु।	2305002	9,27,000.00	श्री परमपूज्यदेवस कायदेशिन	पदा गया
1762	जन्म संस्कार की दृष्टि से जैन-2 एवं 4 में एल.ई.डी. लाइट लगाने हेतु नाम निगम एवं नियुक्त कन्सल्टेन्ट फर्म के मध्य किंचे गये अनुभव के अनुसार प्रथम चरण में साइनिंग कन्ट्रैक्ट पर कील धनांक 44.50 लाख का 20% धनांक 8.90 लाख, द्वितीय चरण में जीओपीएफओ/जीओआईएफओ सिटी एवं एम्बल पर 20% धनांक 8.90 लाख, तृतीय चरण में अन्तिम हिटल रिपोर्ट एम्बल पर 10% धनांक 4.45 लाख, चतुर्थ चरण में टेण्डर डायरेक्ट के एम्बल पर 25% धनांक 11.125 लाख एवं अन्तिम पूर्ववत् चरण में एकल डिड्स का संवर्धन ऑफ बिड एक्जैशन रिपोर्ट पर 25% धनांक 11.125 लाख की धनराशि का भुगतान संसद संसदल कैपिटल एडवाइजर प्राविलि, मुम्बई को किया जाना है।	4103301	44,50,000.00	श्री संसदल कैपिटल एडवाइजर प्राविलि, मुम्बई	पदा गया
1763	श्री महापौर के निर्देशानुसार एगट संख्या 74 प्रकृति नगर, नाला रोड, नौबस्ता निकट बरगी नौस रविध के पास स्थित रामेश्वर जी के सांख्यिक मन्दिर में 01 नम सोलर लाइट स्थापित कराये जाने का कार्य।	4103302	23,350.00	परिवाना अधिकाारी यू.पी.0, नौसा	पदा गया

नगर आयुक्त महोदय की स्वीकृति के अनुसार शी 10 कार्यकारिणी समिति के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव संवर्धन प्रेषित है।

कायदेशिन माता प्रकाश विभाग

1757	जैन-3 वाट 81 के अन्तर्गत जयली फस-1 में सिद्ध विनायक कार्यादेशिन के सामने से सुन्दर एवं प्रथम के मकान से हीते हुए रसाकान्त के मकान के सामने तक आर० सी० नाले का निर्माण कार्य।	1466568.00	15.00% निम्न	1246582.00	शमश बचतग ई० प्रा०	स्वीकृत
1758	जैन-3 वाट-83 के अन्तर्गत मकान नं० 551 ए डब्ल्यू-2 रामेश्वर नगर से मकान नं० 776 से हीते हुए प्रथम फार्क के कोने तक नाली एवं टैटमिक्स लाइट ड्राय सडक का निर्माण कार्य।	1468859.00	15.00% निम्न	1248530.00	शमश केला देवी कान्त०	स्वीकृत
1759	जैन-3 वाट-55 के अन्तर्गत के ब्लाक स्थित मकान नं० 128/336 से अभिनव ब्लाक तक सडक नाली साइट पट्टी का संधार कार्य।	1268018.00	15.00% निम्न	1077815.00	शमश मां लक्ष्मी देवी	स्वीकृत
1760	जैन-3 वाट-96 के अन्तर्गत बाबू पुरवा स्थित श्री १०० मन्सा अस्पताल का संधार कार्य।	1497729.00	15.00% निम्न	1273069.00	शमश अदिष्का लिड्स	स्वीकृत

1764	कानपुर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत विभिन्न देव स्थलो पनकी मन्दिर, सरसैया घाट एवं बारादेवी मन्दिर मे 20-20 नग फलड लाइट लगाकर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये कुल 60 नग फलड लाइट फिटिंग 2x400 वाट मेक-हैवेल्स के क्रय हेतु।	2305002	5,24,616.00	मे0 दादा नगर इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया
1765	किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित वार्ड-07 निराला नगर, वार्ड-98 गोविन्द नगर प्रथम, वार्ड-93 गोविन्द नगर दक्षिणी एवं वार्ड-24 उस्मानपुर मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने हेतु 200 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट मेक-हैलोनिक्स एवं 200 नग सोडियम लैम्प 250 वाट मेक-सूर्या के क्रय हेतु।	2305002	6,76,800.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नो0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया
1766	किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित वार्ड-58 बसन्त विहार, वार्ड-60 बर्वा, वार्ड-62 बर्वा गॉव एवं वार्ड-79 जूही कलॉ मे समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने हेतु 200 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट मेक-हैलोनिक्स एवं 200 नग सोडियम लैम्प 250 वाट मेक-सूर्या के क्रय हेतु।	2305002	6,76,800.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नो0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया
1767	ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से जोन-2 एवं 4 मे एल.ई.डी. लाइट लगाने हेतु नगर निगम एवं नियुक्त कन्सलटेन्ट फर्म के मध्य किये गये अनुबन्ध के अनुसार प्रथम चरण मे साइनिंग कान्ट्रैक्ट पर कुल धनांक 44.50 लाख का 20% धनांक 8.90 लाख का भुगतान	4103301	8,90,000.00	मे0 मेघराज कैपिटल एडवाइजर प्रा0लि0, मुम्बई	पढ़ा गया
1768	शवे-बरात एवं रमजान इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर मे लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-1 से 6 तक के लिये 3000 नग सोडियम लैम्प 250 वाट (टी) क्रय हेतु।	2305002	9,27,000.00	मे0 एम0एम0सेल्स कारपोरेशन	पढ़ा गया
1769	कान्ट्रेक्ट कार्यों के अन्तर्गत जोन-6 मे लगाये गये 224 नग नये पोलो पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने हेतु 224 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट मेक-हैलोनिक्स एवं 200 नग सोडियम लैम्प 250 वाट मेक-सूर्या के क्रय हेतु।	2305002	7,58,016.00	मे0 हैलोनिक्स टेक्नो0, मे0 एम0एम0सेल्स कार0	पढ़ा गया
1770	कान्ट्रेक्ट कार्यों के अन्तर्गत जोन-3, 5 एवं 6 मे लगाये गये 27 नग नये टावर पोलो पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने हेतु 108 नग फलड लाइट फिटिंग 2x400 वाट मेक-हैवेल्स के क्रय हेतु।	2305002	9,44,308.80	मे0 दादा नगर इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया
1771	कान्ट्रेक्ट कार्यों के अन्तर्गत जोन-1 एवं 2 मे लगाये गये 16 नग नये टावर पोलो पर समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने हेतु 64 नग फलड लाइट फिटिंग 2x400 वाट मेक-हैवेल्स के क्रय हेतु।	2305002	5,59,590.40	मे0 दादा नगर इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया

1780	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-1 से 6 तक के लिये 3400 नग सोडियम लैम्प 250 वाट (टी) कय हेतु।	2305002	9,74,780.00	मे० एम०एम०सेल्स कारपोरेशन	पढ़ा गया
1781	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-4, 5 एवं 6 के लिये 1000 नग सोडियम चोक 250 वाट कय हेतु।	2305002	8,90,000.00	मे० आर०डी०ए० इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
1782	जोन-1 के अन्तर्गत भगवतदास घाट स्थित विद्युत शवदाहगृह की विद्युत फर्नेस इत्यादि की मरम्मत का कार्य।	2305906	9,01,379.38	मे० श्रीमान ट्रेडर्स	पढ़ा गया
1783	ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से जोन-2 एवं 4 में एल.ई.डी. लाइट लगाने हेतु नगर निगम एवं नियुक्त कन्सलटेन्ट फर्म के मध्य किये गये अनुबन्ध के अनुसार प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने पर कुल धनांक 44.50 लाख का 20% धनांक 8.90 लाख का भुगतान।	4103301	8,90,000.00	मे० मेघराज कैपिटल एडवाइजर प्रा०लि०, मुम्बई	पढ़ा गया
1784	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु कय की गई 1538 नग सोडियम फिटिंगो को स्थापित कराये जाने के लिये 1526 नग जी०आई० पाइप एवं 3052 नग एच०टी०वैल्यू कय हेतु।	2305002	6,76,552.10	मे० संजय ब्रदर्स मे० आधुनिक ट्रेडर्स	पढ़ा गया
1785	जोन-1 से 6 तक के शहर सीमा के अन्तर्गत 13 पार्को में सुन्दरीकरण के कार्य हेतु प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अतिआवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुये 679 नग डेकोरेटिव वाक्स टाइप सी.एफ.एल. गार्डेन लाइट फिटिंग कय हेतु।	2305002	6,65,420.00	मे० आधुनिक ट्रेडर्स	पढ़ा गया
1786	गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि, बसन्त पंचमी, रविदास जयन्ती, होली में अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-1 से 6 तक के लिये 1650 नग सी०एफ०एल० 85 वाट कय हेतु।	2305002	9,98,250.00	मे० रिवाञ्शू सेल्स	पढ़ा गया
1787	रमजान इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-1 से 6 तक के लिये 3000 नग सोडियम लैम्प 250 वाट (टी) कय हेतु।	2305002	9,27,000.00	मे० एम०एम०सेल्स कारपोरेशन	पढ़ा गया
1788	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-4, 5 एवं 6 के लिये 733 नग सोडियम चोक 250 वाट कय हेतु।	2305002	6,52,370.00	मे० आर०डी०ए० इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
1789	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-1 एवं 2 के लिये 1134 नग सी०एफ०एल० 85 वाट कय हेतु।	2305002	6,86,070.00	मे० रिवाञ्शू सेल्स	पढ़ा गया

1800	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर की गरीब बस्तियों में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-1 से 6 तक के लिये 2990 नग सोडियम लैम्प 250 वाट (टी) क्रय हेतु।	2305002	8,57,233.00	मे0 एम0एम0सेल्स कारपोरेशन	पढ़ा गया
1801	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर की गरीब बस्तियों में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-1 से 6 तक के लिये 293 नग डी0पी0 स्विच 63 एम्पी0 क्रय हेतु।	2305002	7,98,307.80	मे0 जे0डी0 इलेक्ट्रिक कं0	पढ़ा गया
1802	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर की गरीब बस्तियों में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-1 से 6 तक के लिये 872 नग डी0पी0 स्विच 32 एम्पी0 क्रय हेतु।	2305002	8,84,731.20	मे0 जे0डी0 इलेक्ट्रिक कं0	पढ़ा गया
1803	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर की स्विच लाइनों के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-1 से 6 तक के लिये 551 क्वॉयल पी.वी.सी. 10 एम.एम. दिवन एल्युमिनियम वॉयर क्रय हेतु।	2305002	9,99,734.40	मे0 रिवांशू सेल्स	पढ़ा गया
1804	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर की गरीब बस्तियों में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-1 से 6 तक के लिये 830 क्वॉयल पी.वी.सी. 6 एम.एम. दिवन एल्युमिनियम वॉयर क्रय हेतु।	2305002	9,74,162.70	मे0 रिवांशू सेल्स	पढ़ा गया
1805	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-4, 5 एवं 6 के लिये 2990 नग सोडियम लैम्प 250 वाट (टी) क्रय हेतु।	2305002	9,28,047.90	मे0 एम0एम0सेल्स कारपोरेशन	पढ़ा गया
1806	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-1, 2 एवं 3 के लिये 3311 नग सोडियम लैम्प 250 वाट (टी) क्रय हेतु।	2305002	9,49,263.70	मे0 एम0एम0सेल्स कारपोरेशन	पढ़ा गया
1807	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर की गरीब बस्तियों में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-1 से 6 तक के लिये 1217 नग सी0एफ0एल0 85 वाट क्रय हेतु।	2305002	7,36,285.00	मे0 रिवांशू सेल्स	पढ़ा गया
1808	वार्ड-41 के अन्तर्गत समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सोडियम फिटिंग 250 वाट एवं सहायक विद्युत सामग्री क्रय हेतु।	2305002	5,59,100.00	मे0 राजकमल मार्केटिंग, मे0 डी-कन्ट्रोल एण्ड इलेक्ट्रिक प्रा0लि0	पढ़ा गया
1809	वार्ड-88 के अन्तर्गत समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था कराये जाने की अति आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सोडियम फिटिंग 250 वाट, सी0एफ0एल0 फिटिंग 85 वाट एवं सहायक विद्युत सामग्री क्रय हेतु।	2305002	5,92,846.00	मे0 राजकमल मार्केटिंग, मे0 डी-कन्ट्रोल एण्ड इलेक्ट्रिक प्रा0लि0, मे0 दर्शन इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया

1821	जोन-3 के अन्तर्गत वार्ड-25 जूही हमीरपुर रोड स्थित जूही बम्बुरिया (सादिक अली का हाता) गरीब बस्ती में 30 नग एस0टी0 पोल लगाने, केबिल डालने, स्विच लगाने इत्यादि का कार्य	4103301	5,08,670.04	मे0 जे0आर0 एण्ड सन्स	पढ़ा गया
1822	जोन-3 के अन्तर्गत वार्ड-81 जरीली स्थित आई-सेक्टर पार्क नियर कारपोरेट हाउस में सुन्दरीकरण हेतु 76 नग 04 मी0 एम0 एस0 पोल लगाने, केबिल डालने, स्विच लगाने इत्यादि का कार्य	4103301	6,23,746.70	मे0 निर्मल इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया
1823	जोन-6 के अन्तर्गत वार्ड-82 में नगरीय निर्धन सुविधा के अन्तर्गत शास्त्री नगर बस्ती मलिन बस्ती में 25 नग एस0टी0 पोल लगाने, केबिल डालने, स्विच लगाने इत्यादि का कार्य	4103301	6,19,872.58	मे0 वी0डी0 इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया
1824	जोन-3 के अन्तर्गत वार्ड-75 में नगरीय निर्धन सुविधा के अन्तर्गत अजीतगज बस्ती मलिन बस्ती में कुल 22 नग एस0टी0 पोल लगाने, केबिल डालने, स्विच लगाने इत्यादि का कार्य	4103301	5,69,518.93	मे0 जे0आर0 एण्ड सन्स	पढ़ा गया
1825	जोन-3 के अन्तर्गत वार्ड-83 में नगरीय निर्धन सुविधा के अन्तर्गत संजय गाँधी नगर हनुमन्त बिहार नौबस्ता ओर दामोदर नगर मलिन बस्ती में 40 नग एस0टी0 पोल लगाने, केबिल डालने, स्विच लगाने इत्यादि का कार्य	4103301	9,73,506.30	मे0 वी0डी0 इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया
1826	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर में लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-1, 2 एवं 3 के लिये 3800 नग सोडियम लैम्प 250 वाट कय हेतु।	2305002	9,84,200.00	मे0 रिवान्यू सेल्स	पढ़ा गया
1827	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर में लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-4, 5 एवं 6 के लिये 3800 नग सोडियम लैम्प 250 वाट कय हेतु।	2305002	9,84,200.00	मे0 रिवान्यू सेल्स	पढ़ा गया
1828	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर में लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 1800 नग सी0एफ0एल0 85 वाट कय हेतु।	2305002	9,91,800.00	मे0 एम0एम0सेल्स कारपोरेशन	पढ़ा गया
1829	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर में लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-1, 2 एवं 3 के लिये 1200 नग सोडियम चोक 250 वाट कय हेतु।	2305002	9,91,200.00	मे0 प्रजेन्ट टच लाइटिंग	पढ़ा गया
1830	मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर में लगे बिन्दुओ के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जोन-4, 5 एवं 6 के लिये 1200 नग सोडियम चोक 250 वाट कय हेतु।	2305002	9,91,200.00	मे0 प्रजेन्ट टच लाइटिंग	पढ़ा गया

1842	जोन-6 के अन्तर्गत वार्ड-26 विजय नगर स्थित मलिन बस्ती में कुल 45 नग एस0टी0 पोल लगाने, केबिल डालने, स्विच लगाने इत्यादि का कार्य।	4103301	7,39,109.19	मे0 जे0आर0 एण्ड सन्स	पढ़ा गया
1843	जोन-3 के अन्तर्गत वार्ड-80 स्थित सेक्टर-बी विश्व बैंक पार्क में 68 नग 4 मी0 एम0एस0 पोल लगाने, केबिल डालने, स्विच लगाने इत्यादि का कार्य।	4103301	5,53,624.60	मे0 निर्मल इलेक्ट्रिकल्स	पढ़ा गया
1844	जोन-1 के अन्तर्गत वार्ड-103 में नई सड़क में पेरड चौराहे से मूलगज चौराहे तक 28 नग 07 मी0 लम्बे पोल लगाने, केबिल डालने, स्विच लगाने इत्यादि का कार्य।	4103301	8,28,525.00	मे0 अरेजोना कन्ट्रोल सिस्टम प्रा0लि0	पढ़ा गया
1845	जोन-6 के अन्तर्गत वार्ड-09 स्थित शास्त्री पार्क एवं झण्डे वाली पार्क में कुल 78 नग 4 मी0 एम0एस0 पोल लगाने, केबिल डालने, स्विच लगाने इत्यादि का कार्य।	4103301	5,74,274.00	मे0 अरेजोना कन्ट्रोल सिस्टम प्रा0लि0	पढ़ा गया

माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित उद्यान विभाग जोन-1, 2 व 3

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन घनांक	निविदा घनांक	दर	टेकेदार/फर्म का नाम	निर्णय
1846	जोन-3 वार्ड-88 के अन्तर्गत के ब्लॉक विश्व बैंक स्थित कम्युनिटी सेंटर पार्क में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	2305101	1466047.00	1246040.00	15%	मे0 निधी एण्ड निध इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
1847	जोन-3 वार्ड-24 डब्लू ब्लॉक स्थित नक्षत्र वाटिका पार्क के सुन्दरीकरण का कार्य।	2305101	1478582.00	1256795.00	15%	मे0 अभित इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
1848	जोन-3 वार्ड-79 के अन्तर्गत लाल कालोनी स्थित छप्पन पार्क में पूजा शेड बनाने का कार्य।	2305101	983413.00	836951.00	15%	मे0 अभित इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
1849	जोन-3 वार्ड-58 के अन्तर्गत बसंत बिहार स्थित योगा पार्क के सुन्दरीकरण का कार्य।	2305101	594800.00	505580.00	15%	मे0 ज्ञानवती कान्स्ट्रक्शन कम्पनी	पढ़ा गया
1850	जोन-3 वार्ड-88 के अन्तर्गत के ब्लॉक विश्व बैंक बर्ग स्थित पं0 सूर्य कुमार बाजपेई पार्क में पाथवे व बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	2305101	803123.00	682655.00	15%	मे0 संजय शर्मा	पढ़ा गया
1851	जोन-2 वार्ड-30 के अन्तर्गत शंकराचार्य नगर में राधा कृष्ण पार्क के सुन्दरीकरण कार्य।	2305101	1035820.00	1004227.00	3-05%	मे0 निधी एण्ड निध इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
1852	जोन-3 वार्ड-24 के अन्तर्गत डब्लू ब्लॉक केशव नगर स्थित कामर्सियल पार्क की बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	2305101	1463458.00	1243939.00	15%	मे0 सिकन्दर सप्लायर्स	पढ़ा गया
1853	जोन-3 वार्ड-24 के अन्तर्गत डब्लू ब्लॉक जूही स्थित ओमकारेश्वर पार्क की बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	2305101	905862.00	887745.00	2%	मे0 ओमान्सी ट्रेडर्स	पढ़ा गया
1854	जोन-3 वार्ड-66 के अन्तर्गत बाबूपुरवा गंगा बिहार कालोनी जाजमऊ स्थित विजय पार्क के सुन्दरीकरण	2305101	827401.00	806716.00	2-50%	मे0 अल्ट्रा कान्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स	पढ़ा गया

ह0.....महापौर

क्र.सं.	विवरण	प्रस्ताव संख्या-1858	प्रस्ताव संख्या-1859	प्रस्ताव संख्या-1858	प्रस्ताव संख्या-1859
1857	जीन-2 बार्ड-10 बकरी कमा के अन्तर्गत रामलीला पार्क की बाउन्ड्रीवाल का काम निर्माण कार्य।	2305101	729413.00	620001.00	15%
1856	जीन-3 बार्ड-81 के अन्तर्गत विश्व बैंक सेक्टर आई रिहायश निर्माण कार्य के सुन्दरीकरण का कार्य।	2305101	863018.00	844463.00	2-15%
1855	जीन-2 बार्ड-77 के अन्तर्गत इयाम नगर सेक्टर सी10 रिहायश पार्क के सुन्दरीकरण का कार्य।	2305101	1214727.00	1032518.00	15%

प्रस्ताव संख्या-1858
 श्री आशीतोषा बिपाठी (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत एवं मां महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- सीसाईटी क्षेत्र के टैक्स के सन्दर्भ में।

विषय निवेदन है कि कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत पड़ने वाले सीसाईटी क्षेत्रों का विकास नगर निगम द्वारा नहीं करवाया जाता और कहा जाता है कि नियमों की वाधता है परन्तु उनसे टैक्स लिया जाता है और नगर निगम को विकास हेतु राशि क्षेत्रों को देवते हुये भी मिलती है।

अतः क्षेत्रों के अन्तर्गत जो सीसाईटी क्षेत्र भी आते हैं अर्थात् पूरा क्षेत्रों का मानक ध्यान में रखकर दिया जाता है और हम विकास करवाते नहीं हैं। टैक्स भी अन्य क्षेत्रों की तरह ही लेते हैं यह कार्य एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है।

आपसे निवेदन है कि या तो विकास करवाया जाये सीसाईटी क्षेत्रों में जिसका कि क्षेत्रों के कारण विकास में पैसा भी मिला है और टैक्स भी लेते हैं अन्यथा जबतक विकास न हो जाये तब तक टैक्स लेना स्थगित कर दिया जाये और विकास के निस्तारण पर ही टैक्स लिया जाये। नगर निगम द्वारा की जा रही जैट न तर्क संगत है और न न्याय संगत ही है। एक बार उनकी स्थिति पर अवलोकन करने पर ही हमें ज्ञात हो जायेगा कि कितनी नरकीय स्थिति में निवास करने पर विवश है वहीं रहने वाले लोग।

..... प्रकरण पूर्व में शासन को संदर्भित है, शासन के निर्देश प्राप्त होने पर तदनुकूल कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1859

श्री आशीतोषा बिपाठी (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत एवं मां महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा " जिसके अधीन हमारा अधिनियम भी है " जी-इत्या को प्रदेश में प्रतिबन्धित कर दिया गया है परन्तु कानपुर नगर निगम के द्वारा सम्पत्ति व्यवस्था न करके जी-इत्या को प्रोत्साहन जैसा है उसे रोकने के सन्दर्भ में।

आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रदेश सरकार ने गौ-हत्या को प्रदेश में प्रतिबन्धित कर दिया है और धार्मिक दृष्टि से भी गाय पूजनीय है। नगर निगम का कर्तव्य भी है कि पशुओं का शहर में घूमने पर प्रतिबन्धित कर दिया जाये।

आज के अर्थ वादी युग में गाय जब तक दूध देती है लोग अपने पास रखते हैं और जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसे सड़को में आवारा छोड़ दिया जाता है और शहर के कसाई उसे कुछ समय उपरान्त काट देते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द भी साम्प्रदायिकता की भेंट चढ़ जाता है जैसा कि नोयडा सहित बहुत जगह देखने को मिलता है और बहुत से लोगों को अपनी जाने व्यर्थ में गवांती पड़ी। कभी दूध न दे पाने वाली गायों को हम प्रतिबन्ध होते हुये भी कटने के लिये छोड़ देते हैं, जबकि जमींदारी अवमूलन लैंड रिफार्म (ZALR Act) में चारागाह के रूप में जगहे छोड़ी गई है और उन जमीनो का दूसरा कोई भी उपयोग प्रतिबन्धित है और लैंड कन्वर्जन भी सम्भव नहीं है। नियमानुसार " चारागाह" के अर्थ की व्याख्या को गौ के चारे के रूप में बताया भी गया है।

कानपुर नगर निगम के पास " चारागाह" की बहुत सी जमीनें हैं जो कि भू-माफियाओं ने कब्ज कर रखी है और उसका प्रयोग अन्य रूप में कर रहे हैं जोकि कानून के अनुसार " अपराध " है और उसके हमारे नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रखी है और धन अर्जन कर रहे हैं।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि कुलगॉव और सनिगवां की चारागाह अथवा अन्य नगर निगम भूमि को उन गायों के लिये आवंटित कर दी जाये जो कि कभी दूध नहीं दे सकती है या अत्यन्त बीमार होने के कारण लोग सड़को पर कसाईयो के लिये कटने के लिये छोड़ जाते हैं। मेरे द्वारा संचालित एन0जी0ओ0 " श्री आनन्देश्वर जी सेवा संस्थान " ऐसी गौ-माता की सेवा के लिये जिम्मेदारी लेने को तैयार है जो दूध नहीं देती है या गम्भीर रूप से बीमार है और उसका सारा खर्च श्री आनन्देश्वर जी सेवा संस्थान (NGO) और मैं पूरी जिन्दगी वहन करेंगे। नगर निगम भूमि में तार लगाकर सिर्फ दे दे बाकी संस्था अपने खर्च पर सब कुछ करती रहेगी नगर निगम से किसी भी प्रकार से कभी कोई धन नहीं लिया जायेगा। आय के श्रोत की जिम्मेदारी संस्था और मेरी होगी।

नगर आयुक्त ने कहा कि जाजमऊ स्थित नगर निगम का पशु बंदीगृह पशुओं के रख-रखाव हेतु जो भी सामाजिक संस्था गोद लेना चाहे वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

..... परीक्षणोपरान्त नियम व शर्तों के आधार पर गोद दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1860

मा0 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या 1644, जो अगली मा0 कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 02 मा0 पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करना है कि नगर निगम कानपुर के मार्ग प्रकाश विभाग में कार्यरत एवजदार स्विचमैन पद धारकों को पूर्व की भांति मानवीय आधार पर स्विचमैन (ग्रुप डी) के स्थाई रिक्त पदों पर नियमित कर दिया जाये, तथा इस पर आने वाला अतिरिक्त व्यय भार राज्य वित्त आयोग के अधिष्ठान व्यय से वहन किया जायेगा। उक्त एवजदार स्विचमैन कर्मचारी विगत कई दशकों से नगर निगम कानपुर की सेवा में अनवरत रूप से कार्यरत हैं, जिनका जनहित में पूर्व की भांति नियमितीकरण किया जाना वांछनीय है।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि प्रकरण निर्णय हेतु शासन को पूर्व में संदर्भित किया जा चुका है।

निर्णय लिया गया कि प्रकरण के निस्तारण हेतु पुनः शासन को अनुसमारक पत्र भेजने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1861

मा10 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या 1645, जो अगली मा10 कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

श्री आश्विन अली (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 09 मा० पार्षदी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- नगर निगम स्कूल पर भूमिकियाओं का कब्जा।
हमारे बाई 38 फुजलगाज जौन-5 कालपी रोड स्थित 122/230 में नगर निगम द्वारा संचालित वैसिक प्राईमरी स्कूल था जिसमें क्षेत्र के हजारों बच्चे पढ़ते थे एवं स्कूल वी शिक्षक संरक्षित होला था विगत कुछ वर्षों से नगर निगम स्कूल की भूमि पर भूमिकियाओं का कुछ हिस्सा में कब्जा कर के स्कूल का सरला बन्द कर दिया कई बार विमाना को बराबर लिख चुका है मगर आज तक कोई कार्रणी कार्यवाही विमान द्वारा न किये जाने से क्षेत्र की जनता को गहसा रोष है। अतः मा10 महापौर जी से निर्वेदन है कि इसकी जाव करार पुनः स्कूल संचालित किया जाये।

निर्देशित किया गया कि जनल अधिकारी एवं अभियन्ता संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा वस्तुस्थिति से अगली कार्यकारिणी की बैठक में अवगत करायें।

प्रस्ताव संख्या-1862

मा10 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या 1646, जो अगली मा10 कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

प्रस्ताव संख्या- 1646 श्री आश्विन अली (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 09 मा० पार्षदी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार

करना:-

प्रस्ताव

विषय:- नगर निगम मुख्य द्वार का सुन्दरीकरण करायें जाने के सम्बन्ध में।
आपको अवगत करना है कि आपके कानपुर नगर निगम का मुख्य द्वार जो मेजर सलमान द्वार के नाम से जाना जाता है मा10 महापौर जी अपना नगर निगम और निगमी से काफी बड़ा व सुन्दर भी है मगर कई बार देखा गया तेज हवाओं में या फिर आंधी से मुख्य द्वार के ऊपर लगे पार्श्व हिलते हैं ऐसा महसूस होता है। अतः मा10 महोदय जी से मुख्य द्वार से पार्श्व हटाकर इसकी मजबूत व खूबसूरत बनाया जाये जिस प्रकार कंडी0ए0 ने अपना मुख्य द्वार बनाया है।

स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1863

ह0.....महापौर

मा0 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या 1647, जो अगली मा0 कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

श्री आबिद अली (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 09 मा० पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर **विचार करना:-**
प्रस्ताव

विषय:- सुलभ शौचालय पी.पी. माडल बनाने के सम्बन्ध में।

निवेदन है कि हमारे वार्ड 38 फजलगंज जरेल-5 में फजलगंज पेट्रोल पम्प चौराहे पर पी0पी0 माडल शौचालय बनवाना अति आवश्यक है क्योंकि फजलगंज मुख्य चौराहा होने के कारण हजारों राहगीर यहां से सफर करते हैं एवं मुख्य चौराहा होने पर यहां शौचालय न होने से औरते व आदमी सड़क के किनारे खुले में पेशाब एवं शौच करते हैं जो जनहित में भी सही नहीं है।

अतः मा0 महापौर जी शहर भर में नगर निगम द्वारा शौचालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जनहित में वार्ड 38 में भी शौचालय बनाने का आदेश पारित करें।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1864

मा0 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या 1648, जो अगली मा0 कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

श्री आबिद अली (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 08 मा० पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर **विचार करना:-**
प्रस्ताव

विषय - नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में

कृपया वार्ड - 38 का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार/नगर निगम की भूमि पर कुछ भू-माफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया है जिसके सम्बन्ध में आम जनहित की शिकायत मेरे द्वारा अपर नगर आयुक्त द्वितीय राकेश कुमार गुप्ता को लिखित प्रत्यावेदन से अवगत करा दिया गया है। जिस प्रत्यावेदन पर विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी मैं जनप्रतिनिधि वार्ड का होने के नाते जनहित में मा0 कार्यकारिणी में प्रस्ताव करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति की जांच करायी जाए। अवैध कब्जों का विवरण निम्नवत है-

1. 123/296 पर मुकेश कुमार व पूनम अवैध कब्जेदार हैं।
2. 123/241 पर आजाद/भाटिया जी द्वारा अवैध कब्जा।
3. 123/323 पर अनिल कुमार शर्मा द्वारा अवैध कब्जा।
4. 123/142 पर जमील बाडी मेकर द्वारा अवैध कब्जा।
5. 123/92 पर जिसमें कब्जेदार के नाम की अभी जानकारी नहीं है।
6. 123/82 पर भी नाम की जानकारी नहीं हुयी।
7. 123/19 पर सरदार मुस्बकश सिंह द्वारा अवैध कब्जा।
8. 123/14 पर सरदार इन्द्रजीत द्वारा अवैध कब्जा।
9. 123/16 इन्द्रपाल यादव द्वारा अवैध कब्जा।

10. 123/17 व 18 नाम नहीं जानकारी है ।
11. 123/80 जिस पर भी नाम की जानकारी नहीं है ।
12. 123/24 अवैध कब्जादार का नाम जानकारी नहीं है ।

इसमें क्रमशः 1 से लेकर 12 अंकों पर भूमिाकियाओं का कब्जा है । जिसकी जांच करवाकर अवैध कब्जादारों को नगर निगम / सरकार की सम्पत्तियों को मा० कार्यकारिणी से प्रस्ताव कर अनुरोध करता हूँ कि भूमिाकियाओं द्वारा अवैध कब्जादारों की गुरन्त खाली करने हेतु प्रस्ताव अपेक्षित है ।

..... जांच करवाकर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्टित किया गया ।

प्रस्ताव संख्या-1865

मा० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्मन हुईं के प्रस्ताव संख्या 1649, जो अगली मा० कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना ।

श्री महेंद्र पाण्डेय -पूर्व (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

आपसे निवेदन है कि बार्ड 09 विष्णुपुरी आजाद नगर के अन्तर्गत एक बन्दरशेखर आजाद पार्क है जिसमें पानी टंकी भी है और पास के कोने पर थोड़ी जमीन भी खाली पड़ी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है उक्त स्थल पर क्षेत्रीय जनता ने एक पत्र भेरे नाम लिख कर दिया है जिसमें कियेधर बनवाने का निवेदन किया है और लगभग दो सौ लोगों के इस्तेाधार भी है क्योंकि विष्णुपुरी, नवाबगंज, आजाद नगर व आस पास कियेधर न होने के कारण मृतक के परिवार वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ।

अतः मा० आपसे अनुरोध है कि उक्त खाली पड़ी जमीन पर कियेधर बनवाने की कृपा करें । आपकी महान दया होगी ।

..... स्वीकृति प्रदान की गई ।

प्रस्ताव संख्या-1866

मा० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्मन हुईं के प्रस्ताव संख्या 1650, जो अगली मा० कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना ।

श्री नवीन पण्डित (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 06 मा० पार्षदों द्वारा इस्तेाधारित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचारकरना:-

प्रस्ताव

आपको अवगत करना है कि कानपुर दक्षिण की काफी आबादी हो गई दक्षिण विकास मीर्वा सहित तमाम संगठन दक्षिण में एस०पी० व ए०डी०एम० बैठने की मांग काफी समय से हो रही है । जिसे मण्डलगत्युक्त महोदय ने गम्भीरता से लिया और खाली जगह ढूँढने लगे और जागेश्वर अस्पताल के लिये सहमति4 बनी लेकिन जागेश्वर प्रसाद अग्रवाल के परिजनो ने उक्त जमीन अस्पताल के निर्माण के लिये दिया है इस पर कोई और निर्माण नहीं हो सकता है उनके परिवार व नगर निगम को सहमति से यह प्रस्ताव काफी समय पहले बन चुका है । अतः गांधी स्मारक इण्टर कालेज के पीछे मैदान पड़ा है जहां लोग शौच करते हैं और अवैध कब्जेदार कब्जा करते जा रहे हैं अतः मा० कि ए०डी०एम० कायालय व एस०पी० सिटी कायालय का स्थानान्तरण गांधी स्मारक कालेज के पीछे मैदान में बना जाये स्कूल वालों ने आगे मैदान बनकर पीछे खाली छोड़ रखा हैजहां आवासीय जानवर कुँडा अड्डा अवैध कब्जेदारों का कब्जा हो रहा है । एस०पी० सिटी व ए०डी०एम० कायालय खोलने

है०.....महापौर

से हमारी ज़मीन सुरक्षित रहें व अवैध कब्जेदारों से मुक्ति मिलेगी। गंदगी खत्म होगी। यऔर दक्षिण वासियों को एक बहुत बड़ी राहत मिल जायेगी और दक्षिण के अपराध रूकेगें।

अतः मेरी समस्त कार्यकारिणी व महापौर जी से विनम्र निवेदन है कि इसकी सहमति देकर दक्षिण को एक सबसे बड़ी समस्याका समाधान करे। दक्षिणवासी आपके आभारी रहेगें।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि नगर निगम द्वारा दक्षिण क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों को खोलने हेतु काफी समय से जनता द्वारा मांग की जा रही है। नगर निगम द्वारा संचालित बी.एन. भल्ला अस्पताल बाबूपुरवा में पर्याप्त स्थल उपलब्ध है, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम, जलकल, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के बैठकने हेतु कार्यालय भवन का निर्माण कानपुर विकास प्राधिकरण करायेगा और स्वामित्व नगर निगम का रहेगा।
.....बी.एन. भल्ला अस्पताल, बाबूपुरवा हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1867

मा० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या 1651, जो अगली मा० कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

इस प्रस्ताव के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की ओर कार्यकारिणी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि विगत कई वर्षों से यह देखने में आया है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के निरन्तर सेवा-निवृत्त होने के कारण बीट खाली पड़ी रहती है तथा शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि जिस वार्ड में सफाई कर्मी जिस माह सेवा निवृत्त हो रहा हो उस वार्ड में उसी माह से एन०जी०ओ० के माध्यम से सफाई कर्मी की नियुक्ति कर दी जाये जिससे बीट खाली न हो तथा सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो।

अतः उक्त प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1868

मा० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या 1652, जो अगली मा० कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

श्री मो० इरफान (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 08 मा० पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

आपकों अवगत कराना है कि मेरे वार्ड नं०-108 बेगमपुरवा में कोई भी बारातशाला न होने के कारण जनता को काफी परेशानी होती है, जनहित में बारातशाला का निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है, जिसके लिये जगह भी उपलब्ध है। साथ ही बाबा होटल से ब्लॉक नं०-7 तक की सड़क जो काफी क्षतिग्रस्त है, का सुधार कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे वार्ड में एक बारातशाला एवं बाबा होटल से ब्लॉक नं०-7 तक की सड़क जो काफी क्षतिग्रस्त है का निर्माण कराने हेतु कार्यकारिणी समिति में प्रस्ताव सम्मिलित कराने का कष्ट करें।

ह०.....महापौर

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1869

श्री आलोक दुबे-अपू (पाषद) द्वारा प्रस्तुत व 03 मां पाषदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मां महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना।

श्री आलोक दुबे-अपू (पाषद) द्वारा प्रस्तुत व 03 मां पाषदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मां महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- नगर निगम बारातहाला के पीछे खाली पट्टी में निर्धन छात्रों व नागरिकों हेतु पुस्तकालय बनवाने हेतु।

आपको सादर अवगत करना है कि जवाहर नगर में नगर निगम बारातहाला के पीछे खाली पट्टी में गन्तगी व्याप्त है तथा कुछ लोग कब्जे की नियत से लगे हैं उस स्थान पर गरीब व पिछड़े वर्ग, प्रबुद्ध नागरिकों हेतु पुस्तकालय बनाने का आदेश पारित करे, जिससे क्षेत्र के बच्चों का मविष्य पढ़कर प्रशस्त होगा।

..... परीक्षण कराकर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करे।

प्रस्ताव संख्या-1870

श्री आलोक दुबे-अपू (पाषद) द्वारा प्रस्तुत व 06 मां पाषदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मां महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना।

श्री आलोक दुबे-अपू (पाषद) द्वारा प्रस्तुत व 06 मां पाषदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मां महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- आवास/प्रतिष्ठान के बाहर आरंभित हरित वृक्ष होने पर गडकर में आशिक/पूर्व छूट के सन्दर्भ में।

अवगत है कि अपना प्रदेश, जनपद निरन्तर सूखे की मार से पीड़ित है एवं जनपद का जलस्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, प्रमुख कारण सघन वृक्षों का न होना। वृक्षारोपण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारें भारी प्रयास लगातार कर रही हैं। यदि जनजनरुकवता एवं पर्यावरण के प्रति सजगता हेतु नगर

स्वीमान्तगत जिस मकान/प्रतिष्ठान के बाहर हरित वृक्ष हो उसे आशिक/पूर्व गडकर में छूट महोदय द्वारा प्रदान की जाये तो जनजनरुकवता अभियान एवं

वृक्षारोपण को प्रमत्ती तरीके से कारित कराया जा सकता है एवं जनपद द्वारा प्रदेश में पर्यावरण के प्रति जागरुकता की मिशाल स्थापित कर सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सकता है।

सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

..... परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-1871

श्री आलोक दुबे-अपू (पाषद) द्वारा प्रस्तुत व 06 मां पाषदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मां महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना।

.....महापौर

श्री आलोक दुबे-अप्पू (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 06 मा० पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- दुकानों/मकानों में लगे कंपनी के साइन बोर्ड जो प्रतिष्ठानों से अलग हों 'कर' के दायरे में लाने हेतु ।

विदित हों कि केन्द्र एवं प्रदेश की सरकारें स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर लगातार प्रयास कर रही हैं महानगर कानपुर में प्रचार की होड लगी है । बेतरतीब एवं अव्यवस्थित तरीके से प्रचार के साइन बोर्ड/होर्डिंग शहर को गंदगी एवं अव्यवस्था से बर्बाद कर रहे हैं । निवेदन है कि प्रतिष्ठान से अलग जितनी भी कंपनी की होर्डिंग/साइन बोर्ड प्रति० पर लगे उन पर अलग से 'कर' कम्पनी द्वारा देय हो एवं आकार तथा साइज भी तय हो ताकि शहर साफ सुथरा एवं सुंदर दिखे एवं नगर निगम की आय भी बढ़े तथा अराजकता एवं गंदगी में रोक लगे शहर सुन्दर दिखें ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत ।

..... स्वीकृति प्रदान करते हुये सम्बन्धित जोनल अधिकारियों को अपने-अपने जोन में ऐसे विज्ञापन पटों व अन्य अल्पकालिक व अस्थायी विज्ञापन पटों पर विज्ञापन कर/शुल्क लगाये जाने एवं वसूले करने हेतु पूर्णतः अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या-1872

मा० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या 1656, जो अगली मा० कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

श्री आलोक दुबे-अप्पू (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 07 मा० पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- आउटसोर्सिंग में लगे कर्मचारियों का वेतन समय पर व प्रस्तावित वेतन से कम मिलने के संदर्भ में ।

अवगत कराना है कि नगर निगम के आउटसोर्सिंग में लगे कर्मचारियों को जो ठेकेदारों द्वारा वेतन मिलता है वो समय पर व प्रस्तावित वेतन से कम मिल रहा है जो इन कर्मचारियों के साथ गलत है अतः जनहित में यथाशीघ्र इनके वेतन का समय व वेतन निर्धारण का आदेश जनहित में पारित करें ताकि समय से वेतन मिलने पर ये कर्मचारी मन से कार्य उत्तम तरीके से भरे पेट करें ।

..... जाँच कराकर कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या-1873

मा० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या 1657, जो अगली मा० कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

श्री राज किशोर यादव (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 07 मा० पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- पूर्व में पारित हुए कार्यकारिणी प्रस्तावों में अमल के संदर्भ में ।

अवगत कराना है कि इस सत्र में पूर्व में पारित हुए कार्यकारिणी के प्रस्तावों में नामकरण इत्यादि हुए परन्तु नगर निगम के अधिकारीगणों के द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुयी । माननीय कार्यकारिणी के मान सम्मान का ध्यान देते हुए कार्यकारिणी के प्रस्तावों में अमल के संदर्भ में प्रस्ताव पारित करने का आदेश पारित करें ।

..... अनुपालन आख्या अगली कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या-1875

श्री योनिन्द कुमार कुशावाहा 'योगी' (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 05 मा० पार्षदी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-
 मा० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्मन हुई के प्रस्ताव संख्या 1659, जो आसी मा० कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

विषय:- नमक फ़ैक्ट्री बौराहा (वार्ड-68, जोन-6) पर स्थित 50 पटल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा लगाये जाने के संबंध में।
 अवगत करना है कि जोन-6, वार्ड-68 के अंतर्गत नमक फ़ैक्ट्री बौराहा के पास स्थित "सरदार पटेल चौक" पर "लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल" की एक आदमकद प्रतिमा लगाये जाने की अति आवश्यकता है, ताकि उनके महान व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके।
 अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त "सरदार पटेल चौक" पर "लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल" की आदमकद प्रतिमा की स्थापना कराये जाने हेतु माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है कृपया संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
 परीक्षण कराकर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव

श्री योनिन्द कुमार कुशावाहा 'योगी' (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 05 मा० पार्षदी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव संख्या-1874

श्रीमती मधु यादव (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 06 मा० पार्षदी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-
 मा० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्मन हुई के प्रस्ताव संख्या 1658, जो अगली मा० कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

प्रस्ताव

विषय:- भरे वार्ड-54, जोन-3 के अंतर्गत भवन सं०-1, बाणपुरवा से भवन सं०-350, बाणपुरवा में, सीवर लाइन डाले जाने के संबंध में।
 अतः आपसे अनुरोध है कि भरे वार्ड-54, जोन-3 के अंतर्गत भवन सं०-1, बाणपुरवा से लेकर भवन सं०-350, बाणपुरवा में सीवर संबंधी समस्या काफ़ी सादर अवगत करना है कि भरे वार्ड-54, जोन-3 के अंतर्गत भवन सं०-1, बाणपुरवा से लेकर भवन सं०-350, बाणपुरवा में सीवर संबंधी समस्या काफ़ी विकराल है। उक्त संबंध में पूर्व में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया है किंतु कोई कार्य नहीं हुआ। जबकि केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में काफ़ी धन दिया जा रहा है। किंतु फिर भी उक्त इलाका वंचित है।
 यहां पर यह भी अवगत करना है कि "नालियों में मैला प्रवाहित किया जाना व मैला बौने को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अपराध घोषित किया जा चुका है। फिर भी सम्पूर्ण क्षेत्र में सीवर लाइन न डाला जाना अधिकांशी वर्ग की घोर लापरवाही दर्शाता है।
 अतः मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक में आपके समक्ष भेरा यह प्रस्ताव है कि भरे वार्ड-54, जोन-3 के अंतर्गत भवन सं०-1, बाणपुरवा से लेकर भवन सं०-350, बाणपुरवा में सीवर लाइन डालने का आदेश पारित करें। जनहित में अति आवश्यक है।
 परीक्षण कराकर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

मा० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या 1660, जो अगली मा० कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

श्री बी०एस० बेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन (रजि०) डब्लू.एच-२७२ एस/एफ गुरु नानक नगर, नई दिल्ली, द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

नगर प्रमुख जी शहर के मुखी होने के नाते संस्था आपसे इस देश की आजादी के महान नायक सपूत शहीद स० भगत सिंह आदि ने देश को ब्रिटिश हुकुमत की गुलामी जंजीरो से देश को आजाद कराकर हँसते हँसते फॉसी के फंदे को चूमकर शहीदी जाम पीकर हमेशा के लिये अमर हो गये। देशवासी ऐसे महान शहीदों के हमेशा ऋणी रहेंगे और हमेशा ऐसे महान शहीदों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। आजादी के महान नायक शहीदें आजम स० भगत सिंह के बलिदान को ध्यान में रखते हुये ब्रिटिस सरकार का दिया नाम शहर के परेड चौक का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह चौक नाम तथा उनकी प्रतिमा लगाने की मांग संगठन करता है महोदय बड़े अफसोस की बात है कि इस देश को आजाद कराने में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चन्द्रशेखर आजाद के साथ हजारों वीर कुर्बानी दे गये। परेड चौक ब्रिटिश सरकार का दिया हुआ नाम से ऐसा प्रतीक होता है आज भी देश में हम देशवासी ब्रिटिस साम्राज्य की पालन कर रहे हैं महोदय संगठन की मांग है को स्वीकार करते हुये तथा शरीर के अनमोल बलिदान को ध्यान में रखते हुये भगत सिंह के नाम पर तथा उनकी प्रतिमा लगवायी जाये। आपकी महान कृपा होगी।

..... परीक्षण कराकर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या-1877

मा० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या 1661, जो अगली मा० कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

श्री बी०एस० बेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन (रजि०) डब्लू.एच-२७२ एस/एफ गुरु नानक नगर, नई दिल्ली, द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

महापौर जी आपको पुनः अवगत कराया जाता है कि संस्था आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन ने अंग्रेजों का दिया नाम परेड चौराहा तथा राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह तीनों की एक साथ प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर संस्था आपको दो बार ज्ञापन दे चुकी है पहला ज्ञापन 29 जनवरी को दूसरा 19 मार्च को मगर संस्था की मांग पर कोई पहल नहीं हुयी है।

महोदय परेड के पास मुर्गा मार्केट का नाम एकता मार्केट हो गया है तो देश की आजादी के अमर शहीद के नाम रखने पर क्यों देरी हो रही है जिससे ऐसा मालूम होता है शहीद के साथ न इंसाफी है तथा आप से विनय निवेदन है किया जाता है कि शिक्षक पार्क के पास परेड चौराहा का नाम बदलकर शहीद स० भगत सिंह चौराहा व प्रतिमा का प्रस्ताव सदन में पास कराकर जल्द से जल्द शहीद के नाम पर चौराहा की घोषणा करें। आप की महान दया होगी।

..... परीक्षण कराकर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

ह०.....महापौर

प्रस्ताव संख्या-1878

श्री १० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्मन हुई के प्रस्ताव संख्या 1662, जो अगली १० कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

श्री सी अहमद खा, मंत्री, तुकानदार सेवा समिति, पुरानी गला मण्डी, शास्त्री नगर, कानपुर, द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महेश्वर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर

विचार करना:-

प्रस्ताव

श्रीमान् जी से निवेदन है कि गला मण्डी शास्त्री नगर 1960 में विस्थापित हुई। गले का काम प्रारम्भ हुआ नगर पालिका द्वारा तहबाजाशी बसूल होने लगी।

कुछ समय पश्चात् सन् 1963 में श्री टी०के०जी० राव (एस) द्वारा निरीक्षण करके लान बना तुकानदारी को अवस्थित करने का खर्च उगतनरायन सिंह समाज के समय

में 42 तुकानदारी से 500/- रुपया अभिस के रूप में 21 हजार रुपया उगा कराया गया और 12X18 फुट की क्षेत्रफल का 42 तुकानों 3 माह में बनाकर किराया देने का

प्रस्ताव रखा।

चक नं० 122/688 पर 300 फुल लम्बाई 70 फुट चौड़ाई क्षेत्रफल का स्थान पर तुकाने बनना प्रारम्भ हुई। एक लाइन 3 ब्लॉक की 21 तुकाने बनी और शेष 21

तुकाने नहीं बनी। एलाट 21 तुकानदारी को कर दी गई शेष 21 तुकाने टट्टर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं हुई तुकानदार सदैव नगर निगम के सम्पर्क में नगरे रहे

तुकाने नहीं भी प्रगति विकास नहीं हुई। आशा विषय के साथ हम तुकानदार आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी व्यवस्था की जाये तुकानदार आपके उपकार का सदैव

आभारी रहेंगे।

श्रीमान् जी से निवेदन है कि तुकानदारी को खर्च तुकाने बनाने का आदेश दे या 12X18 फुट उगाह तुकानदारी को बेव दे या नाम कर देने की कृपा करे

ताकि हम लोग शेजी-रोटी काम कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। बहुत कष्टमय जीवन यापन कर रहे है।

स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1879

श्री १० कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्मन हुई के प्रस्ताव संख्या 1663, जो अगली १० कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

श्री राजू वाल्मीकि, अश्वथ, वाल्मीकि श्रद्धा पर्व प्रधान सेवा समिती (रजि०) जी-१३२३ आवास विकास योजना-१ कल्यानपुर, कानपुर, द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महेश्वर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय- भवान वाल्मीकि द्वार के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र।

प्रस्ताव

महेश्वर संख्या-१०

भारतीय सभ्यता व संस्कृति के जन्मदाता भगवान वाल्मीकि जी की गरिमा को ध्यान में रखते हुये वाल्मीकि समाज आपसे निम्न रूप से आग्रह करता है कि कल्याणपुर से बिदूर को जाने वाले मार्ग पर भगवान वाल्मीकि द्वार बनवाने की कृपा करें जो कि बिदूर में ही वाल्मीकि आश्रम वह पावन स्थल है जहाँ वाल्मीकि जी ने सीता जी को अपने आश्रम में आश्रय दिया और उनके पुत्रों को लव एवं कुश को शिक्षा प्रदान की और वाल्मीकि आश्रम बिदूर में प्रत्येक वर्ष प्रकट दिवस से एक दिन पूर्व वाल्मीकि श्रद्धा पर्व प्रधान मेला भी लगता है जिसमें कि कानपुर नगर व आस पास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग झोंकियां लेकर पहुंचते हैं। मेले का मुख्य उद्देश्य प्रकट दिवस की पूर्व संध्या पर वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर उनकी आराधना कर और उसी ज्योति से अपने अपने स्थानों पर प्रकटोत्सव कार्यक्रमों को आरम्भ करते हैं।

अतः महोदय वाल्मीकि समाज को आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास कि भगवान वाल्मीकि जी की गरिमा को एवं वाल्मीकि समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये भगवान वाल्मीकि द्वार का निर्माण अविलम्ब पूरा करेंगे।

आपके इस महान कार्य से वाल्मीकि समाज सदैव आपका आभारी रहेगा।

..... परीक्षण कराकर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या-1880

मा0 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या 1670, जो अगली मा0 कार्यकारिणी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी./80/कैटिल कैचिंग/ 16-17 दिनांक 21.07.16 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित।

:- प्रस्ताव :-

साधारण गजट में इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 13.03.1999 द्वारा नगर निगम सीमा के भीतर पशु पालकों को अनुज्ञप्ति देने तथा उनके अनुरक्षण से सम्बन्धित अधिसूचना उ0प्र0, नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541 की उपधारा 21 से 26 व 41 के अन्तर्गत पशुपालकों व कॉजी हाउस में बन्द होने वाले जानवरों के स्वामियों से लाइसेन्स शुल्क व जुर्माना वसूलवाने व नियमित रखने कि लिए उपविधि तैयार कर, उ0प्र0, नगर निगम अधिनियम की धारा 542 के अन्तर्गत नगर निगम कानपुर सदर के विचारोपरान्त धारा 543 की अपेक्षानुसार कार्यवाही के उपरान्त धारा 544 के अन्तर्गत प्रकाशित की गयी थी।

उक्त अधिसूचना के प्रपत्र 'ख' के पश्चात् कानपुर नगर निगम के कॉजी हाउस में बन्द पशुओं के स्वामियों से शुल्क व जुर्माना वसूल करने सम्बन्धी उपविधि 1977 प्रकाशित की गयी थी, जिसके नियम '3' में कोई भी पशु कॉजी हाउस में प्रविष्ट हो जाने पर, उसके स्वामी अथवा अभिभावक द्वारा अनुसूची में दी गयी दरों पर जुर्माना व खुराकी की धनराशि जमा करने पर ही कॉजी हाउस से मुक्त किया जाना प्रावधानित है। दरें निम्नवत् है :-

01.	प्रति पशु	रु0 10.00
02.	कॉजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	रु0 350.00
03.	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	रु0 10.00
04.	प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़े आदि)	रु0 25.00

ह0.....महापौर

उपरोक्त दरे वर्ष 1999 से निर्धारित है तथा अब लगभग 17 वर्ष व्यतीत हो रहे है व महंगापी दर भी बढ़ चुकी है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित प्रस्तावित दरे, माननीय कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

01.	प्रति पशु	₹ 100.00
02.	कॉफी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	₹ 1000.00
03.	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	₹ 75.00
04.	प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़े आदि)	₹ 150.00

उपरोक्त प्रस्ताव माननीय कार्यकारी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1881

श्री० कार्यकारी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या 1671, जो अगली श्री० कार्यकारी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

कार्यालय पत्र संख्या 82/CCF दिनांक 21.07.2016. जो माननीय कार्यकारी समिति के समक्ष सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव

नगर निगम श्रीमान्वात बाड़ी में मखर जनिव बीमारियों की रोकथाम हेतु नगर निगम के पास कुल 12 नग व्हीकल माउण्टेड फार्मिंग मशीन कार्यरत है। प्रत्येक जॉन में 2-2 मशीनें उपलब्ध है। मशी-मशीन-बायो-सिस्टम-पर आधारित है। वर्तमान में-पल्स-फाग-मक-क-22-10 माडल की एक नग व्हीकल माउण्टेड फार्मिंग मशीन को दायल के रूप में डी.जी.एस.एण्ड डी० टरे कान्टेनेर की प्राव दरों पर मेसर्स रायल ट्रेड लिक्स प्रा० लि० नई दिल्ली से क्रय करने हेतु कुल रूपया 5,56,538.00(पाच लाख छपन हजार पाँच सौ अड़तीस मात्र) (सभी करों सहित) के व्यय अनुमान की स्वीकृति/अनुमोदन नगर आयुक्त/श्री० महापौर श्री द्वारा क्रमशः दिनांक 16.06.2016 दिनांक 17.06.2016 द्वारा प्रदान की गई है।

श्री० कार्यकारी समिति को सूचनार्थ प्रस्ताव प्रेषित है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1882

श्री० कार्यकारी समिति की दिनांक 25.07.16 को सम्पन्न हुई के प्रस्ताव संख्या 1672, जो अगली श्री० कार्यकारी समिति को अग्रसारित है, पर विचार करना।

कार्यालय पत्र संख्या- डी/122/श्री०(वक)/एफ०/2016-17 दिनांक 21.07.2016 जो माननीय कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव

नगर निगम जनाहित से जुड़े अति आवश्यक कार्यों को विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से सम्पादित करता है। कार्यों के सम्पादन/निरीक्षण हेतु अधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण करना पड़ता है भ्रमण हेतु विभागीय वाहनो की आवश्यकता पड़ती है अधिकारियों की संख्या के अपेक्षा विभागीय वाहन अत्यन्त कम उपलब्ध है। जिस कारण जन समस्याओं के निस्तारण हेतु किराये के वाहनो का उपयोग पिछले कुछ वर्षों से किया जा रहा है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किराये के मद में नगर निगम को औसतन प्रति माह 10.70 लाख का व्यय हो रहा है। अर्थात् एक वर्ष में लगभग 1.28 करोड़ की बड़ी धनराशि व्यय हो रही है। वर्तमान में जिन अधिकारियों को विभागीय वाहनों की आवश्यकता है उनमें प्रमुख रूप से अपर नगर आयुक्त-02, संयुक्त नगर आयुक्त-03, जोनल अधिकारी-06, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी-01, मुख्य अभियंता (सिविल)-01, मुख्य अभियंता (यान्त्रिक)-01, जोनल अभियंता-06, अधिशाषी अभियंता(मार्ग प्रकाश)-01, पशु चिकित्साधिकारी-01, प्रभारी अधिकारी(वर्कशाप)/सहायक निदेशक(सी.सी.)-01 है।

इस हेतु कुल 23 वाहनों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि 23 वाहन नगर निगम द्वारा क्रय कर लिये जाये तो भविष्य में किराये के वाहनों को काफी कम किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार नये वाहनों को क्रय करने हेतु शासन से स्वीकृत प्राप्त करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ प्रस्ताव सादर प्रस्तुत है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1883

श्री अतुल त्रिपाठी (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

इस पत्र द्वारा आपके माध्यम से माननीय सदन के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूँ कि हिन्दू समाज अन्तिम संस्कार के उपरोक्त क्रियाकर्म क्रियाघरों में करता है, क्रियाघर का निर्माण नगर निगम द्वारा होता है या नगर निगम द्वारा दी गई जमीन पर ही क्रियाघर होता है, इसका रखरखाव भी नगर निगम ही कराता है। क्रियाघर में पंडे मनमाने ढंग से जनमानस से क्रियाकर्म के अनापशनाप पैसे वसूलते हैं, न देने पर दान, धर्म के नाम पर आतंक पैदा करते हैं जबकि बिजली, पानी, जमीन का उपयोग नगर निगम का होता है।

भैरोंघाट की तर्ज पर ही यदि इन पंडो के लिये नीति बना दी जाये तो नियमित रूप से जनता को धोखाधड़ी एवं आतंक से छुटकारा मिल जायेगा तथा जनहित में ऐतिहासिक कदम होगा।

..... निर्णय लिया गया कि जोनल अधिकारी अपने जोन के अन्तर्गत आने वाले क्रियाघरों में शुल्क निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कराये।

प्रस्ताव संख्या-1884

श्रीमती रीता शास्त्री (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

वार्ड 90 के अन्तर्गत किदवई नगर स्थित बाबूपुरवा कालोनी के ब्लॉक नम्बर 160 से लेकर ब्लॉक नम्बर 200 तक सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण सीवर जल का भराव घरों में होता है। अतः नई सीवर लाइन डलवाने की कृपा करें।

..... परीक्षण कराकर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या-1885

श्रीमती रीता शास्त्री (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

ह0.....महापौर

.....परीक्षण कराकर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
अतः महोदय से निवेदन है कि इस कार्य की अति आवश्यकता से वार्ड की जनता को है। अतः अविलम्ब इस कार्य को करने की कृपा करें।
स्थित पुराना चौबीस है।

वाराणसी का निर्माण कराया जाये लेकिन प्रस्ताव को यह कर कर रोका गया कि प्रस्ताव में जगह विहित नहीं है पूर्व में दिये पत्र में जगह विहित थी, जो कि वार्ड में
आप सभी को अवगत कराना है कि पूर्व में कार्यकारिणी में से एक प्रस्ताव लाया गया था कि वार्ड 15 जोन-4 में नगर निगम द्वारा " सामुदायिक केन्द्र " या " "
विषय:- वार्ड 15 जोन-4 के अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्र या वाराणसी के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव
श्री श्री निम्ना कर्नाजिया (पाठक) द्वारा प्रस्तुत व 06 मा0 पाठक द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव संख्या-1888

.....परीक्षण कराकर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
बगल में मॉडर्न में बनवाने हेतु अपने उचित आदेश पारित कराने का कष्ट करें।
आप कार्य कुशल महापौर का ध्यान भारतीय संविधान समा के सदस्य श्री0 भावानदीन वाम्नीक के नाम से एक पुस्तकालय 20X20 का खाली पृष्ठी सेन्टर होम के
विषय:- भारतीय संविधान समा के सदस्य श्रीधरी भावानदीन वाम्नीक के नाम से युनीजाल सेन्टर होम के पास 20X20 का पुस्तकालय बनाने हेतु।

प्रस्ताव
श्री श्री प्रकाश वाम्नीक (पाठक) द्वारा प्रस्तुत व 03 मा0 पाठक द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव संख्या-1887

.....परीक्षण कराकर कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये।
सीवर जल का संचालन के अन्दर पहुँच जाता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि नई सीवर लइन डलवाने की कृपा करें।
वार्ड 90 के अन्तर्गत किदवई नगर स्थित साईट नं0 2 के ब्लॉक नम्बर 19 से लेकर ब्लॉक नम्बर 31 तक की सीवर लइन अति क्षतिग्रस्त है। जिसके कारण

प्रस्ताव

श्रीमती रीता शास्त्री (पाठक) द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव संख्या-1886

.....परीक्षण कराकर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
अतः उक्त पाठक को हस्त करवाकर कृपा की कृपा करें।
जबकि पाठक के पीछे नगर निगम का कन्या इंटर कालेज एवं सामने के 0क0 गार्ड इंटर कालेज है।
अनिल पाठक जी को 10 वर्ष की लीज पर दिया गया था किन्तु रख रखाव के अभाव में पाठक की स्थिति खराब हो गयी वहाँ अराजकतवों का जमावड़ा हो रहा है
वार्ड 90 के अन्तर्गत किदवई नगर स्थित मूलिकल फाउन्डेशन पाठक को नगर निगम द्वारा विकसित करके जनता को समर्पित किया गया था उक्त बाद श्री

प्रस्ताव संख्या-1889

श्री हाजी मो०शमीम आजाद (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

आपको अवगत कराना है कि हमारे वार्ड में बारातशाला नहीं है हमारे वार्ड में दो बारातशाला बनवाने का कष्ट करें।

..... परीक्षण कराकर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या-1890

श्री नवीन पण्डित (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 05 मा० पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- ज्योति ट्रेवलर्स की गाड़िया व उसके द्वारा आउट सोर्सिंग में लगाये गये कर्मचारियों में भारी घोटाला है जांच के सम्बन्ध

ज्योति ट्रेवलर्स वाले ने आउट सोर्सिंग पर गाड़ियां लगा रखी है और कर्मचारी भी बाबू व सफाई कर्मचारी भी इनके द्वारा लगाये गये है जिसमें तमाम फर्जी लिस्ट है गाड़ियों की भी काफी शिकायत है। ज्ञात हुआ है कि संविदा में परमानेन्ट करने के नाम पर 20-20 हजार की मांग की जा रही है। आउट सोर्सिंग वालों को परमानेन्ट कर दिया जायेगा। नगर निगम से इनका कितने दिनों के लिये टेण्डर हुआ था। सफाई कर्मचारियों, क्लर्क बाबू या अन्य कर्मियों का हुआ था जिसे कार्यकारिणी जानना चाहती है और इनकी जांच कराकर फर्जी वाड़े पर रोक लगाने की मांग करती है।

..... परीक्षण कराकर कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या-1891

श्री नवीन पण्डित (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 09 मा० पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- 200 गज जमीन जिस पर कब्जे हो रहे हैं नगर निगम लाचार है दक्षिण विकास मोर्चा को पट्टे या लीज में दिये जाने के सम्बन्ध में।

मैंने पिछले कार्यकारिणी की बैठक में गांधी स्मारक इण्टर कालेज के पीछे जहां विद्यालय वालों ने अपनी वाउन्ड्री बनाकर कर बाकी जमीन छोड़ दी है। 100 से ज्यादा लोगो ने घर बना लिये और बाकी जगहों पर लोग शौच कर रहे हैं नगर निगम जोन-5 का कहना है कि कब्जा फुटपाथ पर है हम खाली नहीं करा सकते हैं।

अतः श्रीमान् जी हमारी संस्था दक्षिण विकास मोर्चा जो दक्षिण की समस्याओं के लिये संघर्ष करती है और सामाजिक आयोजनों में भण्डारा आदि भी करती है शादी विवाहों में भी अपना योगदान करता है। अतः हमारी संस्था को 200 गज भूमि लीज या पट्टे पर देने की स्वीकृति प्रदान करे। हम आपके व कार्यकारिणी के आभारी रहेगें।

..... परीक्षण कराकर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या-1892

श्री आलोक दुबे (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 06 मा० पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

ह०.....महापौर

विषय:- अमृत योजना में किदवई नगर एवं-2 ब्लॉक, गजानन पार्क को सामिल करवाने हेतु।

प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या-1895 श्री आशुतोष त्रिपाठी (पाठक) द्वारा प्रस्तुत एवं मा10 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः मा10 कार्यकारिणी के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनहित में उपरोक्त स्थल पर स्वीमिंग पुल का निर्माण करवाने की कृपा करें।

स्वीमिंग पुल से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि कानपुर दक्षिण में एक मात्र स्टेडियम 40 रतन लाल शर्मा स्टेडियम में स्वीमिंग पुल बनने से कानपुर दक्षिण की जनता को

विषय:- जौन-3 किदवई नगर कानपुर दक्षिण में स्थित एक मात्र स्टेडियम 40 रतन लाल शर्मा स्टेडियम में स्वीमिंग पुल बनवाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या-1894 श्री विवेक सदान (पाठक) द्वारा प्रस्तुत व 04 मा10 पार्थी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा10 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

बाद लगे जायेगा और नगर निगम की आय में भी वृद्धि होगी।

प्रतियोगी उल्लाह होगा और नगर निगम की छवि में एक और सिलारा जुड़ेगा। उक्त कार्य आपके द्वारा सम्पन्न कराया जाये तो नगर निगम व आपके सम्मान में धारा

अतः नगर निगम की बहुमूल्य सम्पत्ति जो कि निखोज पड़ी है उसमें कानपुर नगर की एक आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाये जिससे शहर के कला

अवगत करना है कि आचार्य नरेन्द्र देव महिला महाविद्यालय के पीछे प्रेक्षागार है उसमें कुछ लोग कला करने की नियत से है।

करने के सम्बन्ध में।

विषय:- आचार्य नरेन्द्र देव महिला महाविद्यालय नगर निगम कानपुर के प्रेक्षागार को जो कि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, कला दीर्घा/आर्ट गैलरी में परिवर्तित

प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या-1893 श्री आलोक दुबे "अमृत" (पाठक) द्वारा प्रस्तुत व 11 मा10 पार्थी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा10 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

..... शासनादेश में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करायें जाने के निर्देश दिये गये।

है कि इसे पुनः गम्भीरता से लेने की कृपा करें।

आधार पर कानपुर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत अपने स्वयं के निवास एवं स्वामित्व वाले मकानों के गृहकार से मुक्त करने की सर्ववृत्ति के साथ निवेदन करता हूँ। आशा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों उनके आश्रित पुत्र, पुत्रियाँ एवं विधवाओं को गृहकार लखनऊ नगर निगम ने मुक्त कर सहानुभूति जाहिर की है इसी समानता के

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया ऐसे देश की धरोहर को भुलाया नहीं जा सकता है।

विषय:- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भवन का गृहकार लखनऊ के आधार पर मॉफ करने के सम्बन्ध में।

विनम्र निवेदन है कि आपके द्वारा प्रत्येक वार्ड में एक पार्क को पूर्ण विकसति करने हेतु आदेश दिये गये थे। मेरे वार्ड में कोई भी पार्क न होने के कारण आपसे प्रार्थना है कि किदवई नगर एच-2 ब्लॉक, गजानन पार्क को विकसित कर दिया जाये क्योंकि कानपुर दक्षिण में बदहाल पार्कों की संख्या बहुतायत में है। अतः इस पार्क को अमृत योजना या अन्य पार्कों के मद से विकास करवा दिया जाये जिसमें लाईट, फौव्वारे, पेड़ आदि लगवा कर अच्छा और स्वस्थ वातावरण मिल सके जो जनहित में आवश्यक भी है।

..... परीक्षण कराकर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या-1896 श्री आषुतोष त्रिपाठी (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- विज्ञापन विभाग द्वारा राजस्व की डकैती को बचाने हेतु ।

विनम्र निवेदन है कि देश की सरकार व प्रदेश की सरकार की लगातार कोशिशों के बाद भी कानपुर नगर निगम अकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। लोकतन्त्र की स्थापना का उद्देश्य था कि जनता के द्वारा सरकार चुनी जाने के कारण जनता के अधिकारों की रक्षा हो सके और जनता के ऊपर ज्यादा अधिभार भी न पड़े। नगर निगम की आय बढ़ाने की जब भी बात आती है तो हमारे नगर की सरकार जनता के ऊपर गृहकर लाद कर अपनी आय बढ़ाती है परन्तु आपके अन्य बड़े श्रोतों पर कुछ चुने हुये जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिल कर निजी आय बढ़ाने का कार्य करते हैं जिसकी पुष्टि कानपुर नगर निगम के विज्ञापन विभाग से स्पष्ट हो जाती है। आज पूरा शहर अवैध होल्डिंगों एवं अन्य अवैध विज्ञापनों से भरा पड़ा है परन्तु आय नगर निगम की जस की तस है। मेरे द्वारा ये विषय को बहुत बार उठाया गया परन्तु कोई सुधार आज तक सम्भव नहीं हो पाया ।

मेरे द्वारा संचालित एन0जी0ओ0 श्री बाला जी सेवा संस्थान की तरफ से नगर निगम को प्रस्ताव दिया जाता है कि जनता पर टैक्स न बढ़ा कर, संस्था कानपुर नगर को विज्ञापन के मद में 05 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष देगी और विज्ञापनों के संचालन का कार्य संस्था अपने द्वारा पूरे नगर में करेगी, जिससे टैक्स बढ़ाये बिना कानपुर नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी हो जायेगी।

संस्था पूरे कानपुर में विडियोग्राफी करवाकर जितनी जगह विज्ञापन लगा है उन जगहों पर ही विज्ञापन करवायेगी और कोई अन्य नयी जगह पर नहीं करवायेगी यदि कोई कम्पनी पाँच करोड़ से भी ज्यादा देने को तैयार हो जाती है तो विज्ञापन कराने की जिम्मेदारी उसी कम्पनी को दे दी जाये और भ्रष्ट नगर निगम अधिकारियों के ऊपर राजस्व हानि करने और भ्रष्टाचार करने के कारण तत्काल एफ0आई0आर करवाने का कष्ट करे।

भ्रष्टाचार न हो इसकी जिम्मेदारी सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर होती है और ऐसी अवधारणा भारत के संविधान में भी स्पष्ट रूप से है।

अतः आय बढ़ाने के लिये संस्था को विज्ञापन की जिम्मेदारी देने का कष्ट करे और बढ़ी हुई टैक्स की दरे वापस लेकर जनता को अधिभार से बचाने का कष्ट करे।

..... परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या-1897 श्री महेन्द्र पाण्डेय "पप्पू" (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- कानपुर नगर निगम द्वारा जानवरों के अस्पताल बनवाने के सम्बन्ध में।

ह0.....महापौर

..... परीक्षण कराकर कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या-1899 श्री हाजी सुहैल अहमद (उप सभापति/पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 02 मा0 पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- कानपुर नगर में अरबों की चल रही JNNURM योजना की नोडल एजेन्सी (कानपुर नगर निगम) होने के नाते योजनान्तर्गत चल रहे या हो चुके कार्यों की समीक्षा व नगर हित में मा0 कार्यकारिणी समिति में नीचे लिखे कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा करके निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष आपसे सादर अनुरोध है कि कानपुर नगर में अरबों रुपये की JNNURM योजना चल रही है जिसकी नोडल एजेन्सी कानपुर नगर निगम है तथा कार्यदायी संस्था "जल निगम" है। अरबों रुपये की महत्वाकांक्षी योजना से नगर को कोई लाभ नहीं मिला। उक्त योजना अनियोजित प्लानिंग तथा संगठित लूट के भेंट चढ़ गई है। अरबों रुपये की महायोजना सिर्फ कागजों में तैर रही है। समय-2 पर नगर के सम्मानित पार्षदों द्वारा मा0 नगर निगम सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित भी किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हुई। हद तो यह है कि पूर्व के मा0 सदन में उक्त JNNURM योजना की जांच हेतु कमेटी बनाये जाने की घोषणा की गई थी किन्तु कोई भी कार्यवाही का न होना मा0 सदन की अवमानना तथा इस बात का द्योतक है कि जनता की टैक्स रूपी गाढ़ी कमाई की योजनाबद्ध लूट व भ्रष्टाचार किसी श्रेणी पर है।

पुनः मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष नीचे लिखे कुछ बिन्दुओं पर चर्चा करके कड़े निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है:-

- ❖ JNNURM योजना में प्रदेश के बाहर व प्रदेश की अनेको कम्पनियां कार्य करा रही हैं, जोकि प्रायः अधिकारियों से सांठ-गांठ करके मात्र कागजी कार्यवाही के माध्यम से भुगतान प्राप्त किये गये हैं, जबकि धरातल पर इसके विपरीत उक्त कम्पनियों द्वारा नगर के किसी भी एक वार्ड में स्वीकृत मानक के अनुसार पेयजल/सीवरेज/सड़क जैसी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी जा सकी हैं। JNNURM योजना में कार्यरत कम्पनी तथा सम्बन्धित अधिकारी तथा कथित पूर्ण कार्यों का विवरण कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करें तथा मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित समिति को इस्टीमेट प्राविधान के अनुसार धरातल पर कार्यों का निरीक्षण करायें।
- ❖ जैसा कि विदित ही है ज्यादातर प्रदेश के बाहर की कम्पनियां एक सीमा तक भुगतान प्राप्त करके तथा अधिकारियों से सांठगांठ से अपनी जमानती धनराशि प्राप्त करके भाग जाती हैं, जैसा पूर्व में भी नगर में घटित हो चुका है। कार्य अधूरा छोड़ कर भागी दोशियान कम्पनी को 90 प्रतिशत सप्लाय का अर्डर दिया गया था, 10 प्रतिशत कार्य लाईनों को डाले जाने का था। सप्लाय का कार्य पूर्ण करके भुगतान करा लिया गया। शेष बचा 10 प्रतिशत का कार्य दोबारा टेण्डर कराकर EMS Co. गाजियाबाद को 5 करोड़ रुपये अधिक पर दिया गया जिससे राजस्व की भारी हानि हुई। इसी प्रकार फीडरमेन लाइन का कार्य जिसका स्टीमेट रुपये 60 करोड़ का बना था। स्टीमेट रिवाइस करके पहली बार 90 करोड़ किया गया। पुनः रिवाइस हुआ तो 120 करोड़ हुआ। 60 करोड़ का कार्य बढ़ते-2 120 करोड़ हो गया किन्तु जनता को लाभ कोई भी नहीं हुआ। आज भी 30 प्रतिशत कार्य शेष है। अधूरे कार्यों को पूरा कराने में 2 से 3 गुना अधिक पैसे खर्च करके कार्यों को पूर्ण कराना पड़ता है तब बढ़ी हुई लागत गरीब जनता से प्राप्त टैक्स की राशि से प्रतिपूर्णा की जाती है। इस तरह की अनेको कम्पनियां हैं जो कार्य न करके भागने की फिराक में हैं जैसे कि रैमकी, एस0पी0एम0एल0 (सीवरेज), कोनार्च ई0एम0एस0 गाजियाबाद आदि। यह है संगठित लूट और भ्रष्टाचार

सादर अनुरोध है कि जॉन-1 वार्ड 84 के अन्तर्गत चीना पार्क टंकी के बगल में स्थित " सामुदायिक केंद्र " जो कि काफी जर्जर व जीर्ण-शीर्ण है जिसके कारण कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। पूर्व में भी कई बार लिखकर दिया जा चुका है, किन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी, जबकि उक्त घनी व घनी होने के कारण सामुदायिक केंद्र की काफी आवश्यकता है।

विषय:- जॉन-1 वार्ड 84 के अन्तर्गत चीना पार्क टंकी के बगल में स्थित " सामुदायिक केंद्र (जर्जर व जीर्ण-शीर्ण) के निर्माण व परामर्श के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या-1900 श्री हाजी सुहेल अहमद (उप समाधि/पाव) द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना-

जलकल विभाग द्वारा हस्तगत किया जाये।
निर्णय लिया गया कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विधिवत स्थलीय व मौखिक सत्यापन/परीक्षणोपरान्त ही नगर निगम आदेश पारित करे ताकि नगर की जनता की टैकसरुपी गार्डी कमांडो को गुटने से बचाया जा सके।

अतः मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष मा० अध्यक्ष महोदय व मा० कार्यकारिणी सदस्यों से भैया अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रकरण में कडे निर्णय लेकर एक सभिति का गठन करने का कष्ट करे तथा वार्ड स्तर पर मा० पार्क टंकी से योजना की समीक्षा करा ले तथा अधिकारी वर्ग को होने वाले निर्णयों पर कडाई से अनुपालन करने का कमी

जलकल महाप्रबन्धक व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जाये तथा अहरे कामों की लगत उनके वतन से की जाये।
कार्यकारिणी समिति एवं मा० सदन की सहमति लेना अनिवार्यक होगा। कोई भी अर्थी परियोजना यदि जलकल द्वारा हस्तगत की जाती है तो उसके लिये मा० कार्यकारिणी समिति द्वारा इस पर यह भी निर्णय लिया जाना चाहिये कि JNNURM योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्य को हेण्डओवर लेने से पहले मा० परियोजना के कार्य टंकिया, लार्डन व डीटमेन्ट प्लान (सीवेज व पेयजल) जलकल विभाग (कानपुर नगर निगम) को हेण्डओवर करने का प्रयास कर रहे है।

मा० कार्यकारिणी समिति को यह भी अवगत कराना अति आवश्यक है कि भरे संज्ञान में आया है कि जल निगम के अधिकारी साठगाठ करके उक्त अर्थी अधिकारी देणी पाये जाये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये जिससे कार्य समय से पूर्ण हो सके।
जो कम्पनी निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं कर सकी है उनको कार्यों को पूर्ण करने के लिये जो अतिरिक्त समय दिया गया है उसकी समीक्षा भी मा० कार्यकारिणी को करानी चाहिये जिससे यह स्पष्ट होगा कि कम्पनी को वारन्तिक कारणों से समयावधि दी गयी है या किसी लामवश। जो कम्पनी और

कार्यकारिणी को यह भी अवगत कराना अति आवश्यक है कि भरे संज्ञान में आया है कि जल निगम के अधिकारी साठगाठ करके उक्त अर्थी अधिकारी देणी पाये जाये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये जिससे कार्य समय से पूर्ण हो सके।
जो कम्पनी निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं कर सकी है उनको कार्यों को पूर्ण करने के लिये जो अतिरिक्त समय दिया गया है उसकी समीक्षा भी मा० कार्यकारिणी को करानी चाहिये जिससे यह स्पष्ट होगा कि कम्पनी को वारन्तिक कारणों से समयावधि दी गयी है या किसी लामवश। जो कम्पनी और

कार्यकारिणी को यह भी अवगत कराना अति आवश्यक है कि भरे संज्ञान में आया है कि जल निगम के अधिकारी साठगाठ करके उक्त अर्थी अधिकारी देणी पाये जाये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये जिससे कार्य समय से पूर्ण हो सके।
जो कम्पनी निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं कर सकी है उनको कार्यों को पूर्ण करने के लिये जो अतिरिक्त समय दिया गया है उसकी समीक्षा भी मा० कार्यकारिणी को करानी चाहिये जिससे यह स्पष्ट होगा कि कम्पनी को वारन्तिक कारणों से समयावधि दी गयी है या किसी लामवश। जो कम्पनी और

कार्यकारिणी को यह भी अवगत कराना अति आवश्यक है कि भरे संज्ञान में आया है कि जल निगम के अधिकारी साठगाठ करके उक्त अर्थी अधिकारी देणी पाये जाये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये जिससे कार्य समय से पूर्ण हो सके।
जो कम्पनी निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं कर सकी है उनको कार्यों को पूर्ण करने के लिये जो अतिरिक्त समय दिया गया है उसकी समीक्षा भी मा० कार्यकारिणी को करानी चाहिये जिससे यह स्पष्ट होगा कि कम्पनी को वारन्तिक कारणों से समयावधि दी गयी है या किसी लामवश। जो कम्पनी और

सम्पत्तियाँ है उन्हे बचाये जाने का पूर्ण प्रयास किया जातना अति आवश्यक हैं जबकि नगरनिगम अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नगर निगम की कोई भी सम्पत्तियाँ मा0 कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से पट्टे पर या किराये पर भी उठाई जा सकती है।

अतः आपसे मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सादर अनुरोध है कि उक्त चिकित्सालय के आगे की 60x20 वर्ग फिट की अतिक्रमित व कब्जा हुई भूमि को पट्टे या किराये पर दिये जाने का ओदश पातिर करने का कष्ट करे। इससे मिलने वाली राशि से नगर निगम की आय भी बढ़ेगी तथा नगर निगम की सम्पत्तियों की भी सुरक्षा हो सकेगी। मैं उक्त स्थल का आवंटन अपने लिये रिहायसी मकान हेतु चाहता हूँ।

..... परीक्षण करा कर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या-1906 श्री आशुतोष त्रिपाठी (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- गूदड़ बस्ती 104 ए/395 रामबाग समेत शहर में दलित, मुस्लिम और गरीब बस्तियों में सीवर लाइन और पाईप लाइन के डाले बिना कानपुर को फर्जी तरीके से खुले में शौच मुक्त घोषित कर 500 रु0 जुर्माने के निर्णय को बदलवाने हेतु ताकि सच को सामने लाया जायें।

आपको अवगत कराना है कि मेरे द्वारा कई पत्र सीवर एवं पाईप लाइन डलवाने के लिये दिय गये परन्तु गूदड़ बस्ती 104 ए/395 रामबाग समेत शहर में दलित, मुस्लिम और गरीब बस्तियों में सीवर लाइन और पाईप लाइन आज तक नहीं डाली जा सकी और फर्जी तरीके से कानपुर को शौच मुक्त घोषित कर खुले में शौच जाने पर 500 रु0 जुर्माना घोषित कर दिया गया।

महोदय मेरे बहुत विचार करने पर भी मुझे वह तकनीक नहीं मिली जिससे बिना सीवर लाइन और पानी के घर में शौच की जा सके। नगर निगम के बजट में और अन्य योजनाओं में धन आने के बाद भी ये कार्य सम्भव नहीं हो पाया और हद तो तब हो गई जब मेरे वार्ड में सेविंग से बचे धन से उसी जगह के आगे कार्य नहीं करवाया गया जबकि नगर आयुक्त महोदयके आदेश संलग्न है और 13वें वित्त आयोग के कार्यो में उनपकी ही गाईड लाइन से कार्य का प्राविधान है। पैसे के बाद भी दलित बस्तियों में कार्य न करवाने से ल गता है कि नगर निगम और जल संस्थान के कुछ लोक सेवक दलित विरोधी सोच से ग्रसित है जोकि संविधान मेंसमानता के सिद्धान्त और मूलभूत सुविधाओं को देने की अवधारणा के भी खिलाफ है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कानपुर में लब तक सीवर लाइन और पाइप लाइन न पड़ जाये तबतक जनता को खुले में शौच जाने की इजाजत दी जाये क्योंकि इनके बिना शौच घर में जाना सम्भव ही नहीं है और जनता पर 500 रूपये का अधिभार भी न पड़े वह भी हमारी गलती के कारण और पैसे होने के बाद भी दलित विरोधी कार्य के लिये तत्काल एफ0आई0आर0 करवाई जाये सम्बन्धित सेवको पर।

..... परीक्षण करा कर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या-1907 श्री राज किशोर यादव (पार्षद) द्वारा प्रस्तुत व 07 मा0 पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

ह0.....महापौर

विषय:- सड़क का नामकरण हेतु पत्र।
 निम्न निवेदन है कि स्व० मुन्नी देवी शर्मा संजय गांधी नगर नौबस्ता की बहुत ही लोकप्रिय कमठ , समाज की सेवा में हर वक्त तैयार रहने वाली महिला थी, निधन के पश्चात क्षेत्रीय लोग स्मृति शेष का पथर लगाने का एक सड़क का नामकरण करना चाहते हैं।
 अतः आपसे निवेदन है कि खड्गपुर चौ० से हाईटेन्शन लाइन के पास जो खड्गला दुर्गा आटा बक्की के लिये आया है उक्त मार्ग का नामकरण स्व० मुन्नी देवी शर्मा के नाम करने की कृपा करें। आपकी महान दया होगी।

प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या-1909 श्री पंकज सदान (पाठक) द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- 6 वार्ड सं० 14 अम्बडकर नगर व वार्ड 87 काकादेव के क्षेत्र में सामुदायिक केन्द्र निर्माण कराये जाने हेतु।
 510 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव उक्त वार्ड क्षेत्रों में हजारों की संख्या में गरीब नागरिक निवास करते हैं, परन्तु उनके शुभ कार्यों को करने हेतु कोई भी धर्मशाला , बरतशाला या सामुदायिक केन्द्र क्षेत्र में नहीं है। इस कारण हेतु आम जनता से सम्बन्धित एकत्रीकरण स्थान भी नहीं है जो उनसे एक स्थान पर किसी सांस्कृतिक विषय पर चर्चा/विचार किया जा सके, जिस हेतु भूरा प्रस्ताव है कि वार्ड 87 व वार्ड 14 से लगा हुआ पार्क जो कि नगर निगम का है नवीन नगर में यादव होटल काकादेव के पास बना है जिसका वर्तमान में आम क्षेत्रीय जनता द्वारा किसी प्रकार कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है व उक्त स्थान अराजकतत्वों व नशीबानों का कई वर्षों से अड्डा बना हुआ है। भूरा माननीय कार्यकारिणी के समक्ष अनुरोध है कि उक्त स्थान पर नगर निगमक द्वारा सामुदायिक केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव पास करने का कष्ट करें।

प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या-1908 श्री सुमित कुमार सराज (पाठक) द्वारा प्रस्तुत एवं मा० महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना:-

विषय:- 200 गज नगर निगम की अपनी जमीन नवाबगंज वार्ड कायलिय के पीछे पड़ी है जिस पर लोगों का कब्जा करने का प्रयास जारी तथा मुझे पट्टे या लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।
 नवाबगंज वार्ड कायलिय के पीछे नगर निगम की खाली जमीन पड़ी जिसको कई बार लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया था जिसमें कुछ अधिकारी भी सहयोग कर सकते हैं।
 अतः 200 गज जमीन मुझे लीज या पट्टे पर देने का कष्ट करें।
 परीक्षण करा कर अपनी कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या-1910 अधिशासी अभियता जोन-6 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना:-

प्रस्ताव

विषय:- जोन-6 अन्तर्गत वार्ड 63 गीता नगर में छपेड़ा पुलिया चौराहा के नामकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उक्त विषय के सम्बन्ध में मा० क्षेत्रीय पार्षद श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सदस्य कार्यकारिणी समिति द्वारा छपेड़ा पुलिया चौराहा का नामकरण श्री श्याम बिहारी मिश्रा (पूर्व सांसद) के पुत्र स्व० विष्णु स्वरूप मिश्रा के नाम पर किये जाने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि स्व० विष्णु स्वरूप मिश्रा की क्षेत्र में पहचान एक राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही है। पूर्व में छपेड़ा पुलिया चौराहा का नामकरण नहीं किया गया है।

अतः वार्ड 63 गीता नगर अन्तर्गत छपेड़ा पुलिया चौराहा का नामकरण स्व० विष्णु स्वरूप मिश्रा किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रेषित है।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-1911 नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 1323 /3/प दिनांक 28.03.17 को अधिनियम की धारा-148 एवं 221 के अन्तर्गत सूचनार्थ / अनुमोदनार्थ प्रेषित

प्रस्ताव

नगर निगम सीमान्तर्गत भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्य कर (गृहकर) संग्रहण के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :-

1. विगत वर्षों की भाँति रू० 1,200.00 वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत एवं रू० 1,201.00 एवं इससे अधिक वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत होगा।
2. नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के ऐसे भवन/अध्यासी जिनके द्वारा प्रति वर्ष नियमित रूप से नगर निगम का गृहकर भुगतान किया जाता है, के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुये तथा नगर निगम के वसूली अभियान में गति लाने तथा ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे करदाता जिन पर सामान्य कर (गृहकर) के मद में दिनांक 31.03.2017 तक कोई अवशेष न हो उनको वित्तीय वर्ष 2017-18 में 01 अप्रैल 2017 से 30, जून 2017 तक चालू माँग(यदि अवशेष है, तो मय बकाया, ब्याज व चालू माँग सहित एकमुश्त पूर्ण भुगतान करने पर) पर विगत वर्षों की भाँति 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने एवं तदोपरान्त विशेष परिस्थिति में नगर आयुक्त को एक-एक माह हेतु (जिसकी अन्तिम सीमा माह नवम्बर 2017 होगी) इसे बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत किया जाना।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1912 नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

ह०.....महापौर

हाथी सूईल अहमद, उपसभापति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

देखल प्रस्ताव संख्या-1914

..... चौदहवें दिनांक आयोग के अन्तर्गत प्रत्येक जून में एक-एक छोटा हाथी ट्रांजी कय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यकारिणी के आभारी रहेंगे।
की उत्तरत भी नहीं होगी। मैं माननीय कार्यकारिणी समिति से निवेदन करता हूँ कि जनहित में इस प्रस्ताव को पास करने की कृपा करें। हम आपके औरों और उम्में सीढ़ी और रिप्रेजेंटिंग के सामान पहुँचा करा ले, जो कर्मचारी गलियों में नहीं पहुँच पाते हैं, वो गलियों में पहुँच जायेंगे और ज्यादा कर्मचारियों मारी होती है कि तीन कर्मचारी चाहिये होते हैं, मंत्री माननीय कार्यकारिणी से मांग है कि केस्को की तर्ज पर नगर निगम हर वार्ड में छोटा हाथी ट्रांजी खरीदें।
मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि कानपुर महानगर में नगर निगम द्वारा तमाम कार्य लाइसेंसिंग के कराये जाते हैं, कर्मचारियों की कमी है, सीढ़ी इतनी

महोदय,

खरीद ले और इसी में सीढ़ी रिप्रेजेंटिंग का सामान लेकर कर्मचारियों की कमी पूरी की जा सकती है।

विषय :- लाइसेंसिंग में कर्मचारी न होने के कारण तमाम प्वाइंट बन्द रहते हैं, ऐसे में नगर निगम केस्को की तर्ज पर हर वार्ड में एक-एक छोटा हाथी ट्रांजी

देखल प्रस्ताव संख्या-1913 श्री नवीन पंडित द्वारा प्रस्तुत एवं 06 अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

समिति को प्रस्ताव सादर प्रस्तुत है।

स्वीकृति व आगामी वर्ष 2017-18 हेतु विभागीय/किरोय के वाहन उपलब्ध कराने हेतु नगर आयुक्त को अधिकतम करने की अनुमति हेतु मा० कार्यकारिणी

पूर्व से अब तक उपरोक्त वर्णित फील्ड स्तरीय कर्मचारियों/अधिकारियों की उपलब्ध कराये गये विभागीय/किरोय के वाहनों के सम्बन्ध में कार्यालय फील्ड स्तरीय उपरोक्त वर्णित अधिकारियों/कर्मचारियों की विभागीय वाहन/किरोय के वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

हेतु वाहन भर्ती के स्थान पर विभागीय वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है। आवश्यकता एवं जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु काफ़ी समय से शहर के विस्तृत क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए शहर के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा रही जन सुविधा आदि के कुशल पर्यवेक्षण/निरीक्षण

होने के कारण किरोय के वाहन फील्ड स्तरीय अधिकारियों को पूर्व से उपलब्ध कराकर जनहित आदि के कार्यों को सम्पादित करया जा रहा है। वर्तमान में जाता है। वृत्तिक नये वाहनों के कय हेतु एक प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति में विचारार्थिन है। नगर निगम में पब्लिक संख्या में विभागीय वाहन उपलब्ध न

साथ-साथ फील्ड स्तरीय कार्य भी करना पड़ता है। फील्ड स्तरीय जनहित कार्यों के सुचारु रूप से सम्पादन हेतु विभागीय वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक हो (वर्कशॉप)/सहायक निदेशक, विधि अधिकारी व जनल स्वस्थ अधिकारी का प्रमुख योगदान रहता है। सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय के कार्य के

जनल अधिकारी/उप नगर आयुक्त, जनल अभियंता/आवृत्त/सहायक अभियंता, उद्यान अधीक्षक/उद्यान अधीक्षक आभ्युक्ता, जनल अधिकारी/उप नगर आयुक्त, जनल अभियंता/विद्युत यान्त्रिक, वॉरंट नगर स्वस्थ अधिकारी/नगर स्वस्थ अधिकारी, पेशविधिकस्वधिकारी, आयुक्त, मुख्य विल एवं लेखाधिकारी, मुख्य अभियंता (सिविल)/विद्युत यान्त्रिक, वॉरंट नगर स्वस्थ अधिकारी/नगर स्वस्थ अधिकारी, पार्क सुन्दरीकरण के

नगर निगम द्वारा किये जा रहे जनहित के कार्य जैसे सड़क निर्माण/नाली निर्माण, सफाई व्यवस्था, मार्ग प्रकाश, अतिक्रमण, पार्क सुन्दरीकरण के साथ-साथ टैक्स वसूली, लान्डवैल वार्डों के निस्तारण आदि के कार्यों को सम्पादित करने में विभिन्न स्तर के अधिकारी क्रमशः अपर नगर आयुक्त, संचालक नगर

विषय :- जोन-1 वार्ड-104 के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा निर्मित लाइब्रेरी का नामकरण "मुस्लिम शिक्षाविद् व अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के संस्थापक" सर सैय्यद अहमद खाँ, के नाम किये जाने तथा उक्त लाइब्रेरी का संचालन निःशुल्क व रख-रखाव हेतु सामाजिक संस्था सोशल वेलफेयर एण्ड एजुकेशन सोसाइटी, कानपुर को दिये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष आपसे सादर अनुरोध है कि जोन-1, वार्ड-104 के अन्तर्गत बेकनगंज क्षेत्र में नगर निगम द्वारा एक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। उक्त लाइब्रेरी का कोई भी नाम नहीं है। यदि उक्त लाइब्रेरी का नाम मुस्लिम शिक्षाविद् व अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के संस्थापक" सर सैय्यद अहमद खाँ, के नाम पर कर दिया जाये तो निश्चित रूप से यह एक अच्छा काम होगा। सर सैय्यद अहमद खाँ आधुनिक शिक्षा के बड़े पैरोकार थे तथा महान मुस्लिम समाज सुधारक थे। जिन्होंने शिक्षा के लिये जीवन भर प्रयास किये। वह इस देश में हिन्दू और मुस्लिम एकता के बड़े पक्षधर थे तथा अपने भाषणों व बातों में यह कहा करते थे कि हिन्दू और मुस्लिम भारत की दो आँखें हैं।

वही नगर निगम के सीमित संसाधनों तथा पूर्व में बनाई गई लाइब्रेरी इत्यादि की स्थितियों को देखते हुये यह आवश्यक है कि उक्त लाइब्रेरी का संचालन व रख-रखाव सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत संस्था सोशल वेलफेयर एण्ड एजुकेशनल सोसाइटी, कानपुर को दिया जाये। ताकि संस्था निःशुल्क रूप से विद्यार्थियों व समाज के सर्व लोगो को किताबें व कम्प्यूटर शिक्षा इत्यादि उपलब्ध करा सके। यदि उक्त कार्य हेतु नगर निगम किसी प्रकार का कोई शुल्क (वार्षिक रूप) तय करेगा तो संस्था सम्बन्धित शुल्क अदा करने को तैयार है। वहीं सम्बन्धित लाइब्रेरी में संस्था किसी भी धर्म से जुड़े कोई भी साहित्य या किताबें नहीं रखेगी। सिर्फ सामाजिक व शिक्षा तथा देश हित, समाज सेवा, महापुरुषों, कानूनी व अधिनियमों की जानकारी के साथ-साथ कम्प्यूटर इत्यादि की ट्रेनिंग हेतु किताबें व कम्प्यूटर रखेगी ताकि लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो सके। संस्था तथा स्वयं में इस कार्य के होने से आपके तथा माननीय कार्यकारिणी समिति के सदैव आभारी रहेंगे।

अतः आपसे माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष पुनः सादर अनुरोध है कि जनहित में लाइब्रेरी के नामकरण व उक्त लाइब्रेरी के संचालन हेतु सम्बन्धित सामाजिक संस्था को दिये जाने का आदेश पारित करें।
..... नामकरण हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुये लाइब्रेरी को सामाजिक संस्था को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-शर्तें तैयार कर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1915 श्री अतुल त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत व 03 कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

निवेदन है कि इस पत्र द्वारा मा० कार्यकारिणी के समक्ष कानपुर महानगर के किन्नरों में जबरदस्त तरीके से दान एवं भिक्षावृत्ति के नाम पर आतंक एवं कोहराम मचा रखा है। पूर्व में भी कार्यकारिणी के समक्ष उपरोक्त मामला संज्ञान में लाया गया था परन्तु उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया था। अब वर्तमान कार्यकाल की सम्भावित रूप से आखिरी कार्यकारिणी है।

अतः जनमानस को आतंक एवं अपमानित होने से बचाने के लिये इस कार्यकारिणी में उपरोक्त विषय पर निर्णय अति आवश्यक है।

आम नागरिकों के घर मांगलिक कार्यक्रमों जैसे बच्चे के जन्म पर, मुण्डन, यज्ञोपवीत एवं विवाह जैसे समारोह पर किन्नर (मंगलामुखी) एकराय होकर संगठित गिरोह के रूप में धावा बोलते हैं तथा नेग के नाम पर मनमाने ढंग से अनापशनाप हजारों रूपये की मांग करते हैं। आम आदमी के असमर्थता व्यक्त करने पर मारपीट एवं अपमानित करने पर अमादा हो जाते हैं जिससे आम शहरी आतंकित एवं परेशान है। इसमें अप्राकृतिक रूप से कृत्रिम किन्नर

ह0.....महापौर

बनाये गये लोग भी भारी संख्या में शामिल है। यदि कार्यकारिणी उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत धारा-446 (पूछ संख्या-221) का उपयोग करने पर विचार करे तो आम शहरी एवं निधन वर्ग के जनमानस को राहत पहुँचाने का कार्य होगा।

कृपया भरे डेस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक जनहित में विचार कर स्वीकृत करने की कृपा करें।

समाप्ति से कहा कि हाजी सुहेल अहमद उपसमाप्ति की अध्यक्षता में श्री महेंद्र शुकल व श्री आशुतोष को सदस्य बनाते हुये समिति गठित की जाती है, जो लखनऊ व अन्य नगर निगमों से सम्पर्क कर किन्तरी के नेग निधिरेण के सम्बन्ध में की गई कायवाही के सम्बन्ध में अपनी सुस्पष्ट संस्तुति 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें।

तदनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

टिप्पण प्रस्ताव - श्री अजय कुमार सहचक अभियन्ता (वि./या.) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

नगर आर्यकत महोदय की स्वीकृति के अनुसार मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव सूचना/स्वीकृतिार्थ प्रेषित है।

टिप्पण सं०	प्रस्ताव संख्या/दिनांक	कार्य का नाम	मद	आगमन धनांक	कर्म का नाम	निर्णय
1916	D/976/MC/CE(L)/16-17 Dated-29-10-2016	नवरात्रि, मोहरंम, दशहरा एवं दीपावली के अवसर पर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्थापित सी. एम.एल. फिटिंगी के रख-रखाव कार्य हेतु 1800 नग सी.एम.एल. क्षेत्र 85 वॉट, मेक-एच.पी.एल. के कर्म हेतु।	2305002	9,91,800.00	सं० एम.एम. सेल कार्पोरेशन	स्वीकृत
1917	D/1057/MC/CE(L)/16-17 Dated 15-11-2016	शहर की खराब स्थिति के अन्तर्गत कार्य हेतु 1000 नग जी.पी. स्थित 32 एम्पी., मेक-विगतक के कर्म हेतु।	2305002	7,62,000.00	सं० आधुनिक टैडर्स	स्वीकृत
1918	D/1186/MC/CE(L)/16-17 Dated 15-12-2016	नगर निगम मुख्यालय की सफाई की ओवरहेड 11 के.पी. लाइन से संयोजन किसे जाने इत्यादि का कार्य अतिरिक्त कार्य जाने हेतु।		12,71,935.00	सं० कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि० (केस्की)	स्वीकृत
1919	D/1348/MC/CE(L)/16-17 Dated 18-01-2017	नवरात्रि, मोहरंम, दशहरा एवं दीपावली के अवसर पर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्थापित फल गार्डन फिटिंगी के रख-रखाव कार्य हेतु 750 नग सोडियम वाक 400 वॉट, मेक-प्राइमा के कर्म हेतु।	2305002	9,93,750.00	सं० प्रोन्ट टव लाइटिंग	स्वीकृत
1920	D/1522/MC/CE(L)/16-17 Dated 24-03-2017	श्रीधर स्थित विद्युत शवदाहक की विद्युत फर्निचर इत्यादि की मरम्मत कर अतिरिक्त कार्य हेतु जाने का कार्य।	2305906	9,77,131.39	सं० श्रीमान टैडर्स	स्वीकृत

1921	D/456/MC/CE(L)/16-17 Dated 28-07-2016	जोन-6 के अन्तर्गत वार्ड-61 स्थित रामलीला पार्क एवं नरायनपुरवा पार्क में कुल 108 नग 4 मी. एम.एस. पोल लगाने, केबिल डालने, स्विच लगाने इत्यादि का कार्य।	4103301	9,01,177.00	मे० निर्मल इलेक्ट्रिकल्स	स्वीकृत
1922	D/1115/MC/CE(L)/16-17 Dated 03-12-2016	जोन-6 के अन्तर्गत वार्ड-61 स्थित तिकोनिया पार्क एवं नरायनपुरवा पार्क में कुल 73 नग 4 मी. एम.एस. पोल लगाने, केबिल डालने, स्विच लगाने इत्यादि का कार्य।	4103301	6,58,031.53	मे० निर्मल इलेक्ट्रिकल्स	स्वीकृत
1923	D/1448/MC/CE(L)/16-17 Dated 28-02-2017	जोन-4 के अन्तर्गत वार्ड-43 अशोक नगर स्थित मोतीझील आफिसर्स कालोनी नगर निगम के समस्त भवनों में वायरिंग इत्यादि का कार्य।	4103301	7,52,454.00	मे० वी०डी० इलेक्ट्रिकल्स	स्वीकृत
1924	D/1455/MC/CE(L)/16-17 Dated 28-02-2017	जोन-5 के अन्तर्गत वार्ड-07 स्थित चरन सिंह कालोनी पार्क एवं जे.पी. पार्क कालोनी पार्क में कुल 75 नग 04 मी. एम.एस. पोल लगाने, केबिल डालने, स्विच लगाने इत्यादि का कार्य।	4103301	5,90,531.82	मे० निर्मल इलेक्ट्रिकल्स	स्वीकृत
1925	D/1471/MC/CE(L)/16-17 Dated 03-03-2017	जोन-4 के अन्तर्गत वार्ड-43 मोतीझील कैम्पस स्थित राजीव वाटिका रोड एवं कैन्टीन रोड पर 15 नग-07 मी. जी.आई. पोल लगाने, केबिल डालने, स्विच लगाने इत्यादि का कार्य।	4103301	8,43,119.17	मे० अरेजोना कन्ट्रोल सिस्टम प्रा०लि०	स्वीकृत

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1926 श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला द्वारा प्रस्तुत एवं 06 अन्य कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

कृपया अवगत कराना है कि सेवानिवृत्त केयर टेकर श्री हसन अशरफ का कार्यकाल 31-03-2017 तक कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत है। श्री हसन अशरफ केयर टेकर जिनका कार्य व्यवहार एवं आचरण संतोषजनक है, यह काफी मेहनती है।

कृपया दिनांक-01-04-2017 से 31-03-2018 तक एक वर्ष के लिये आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान करने की का कष्ट करें।
..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव जोनल अभियंता जोन-1 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

टेबुल	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	निविदा दर	फर्म का नाम	निर्णय
-------	--------------	----	------------	--------------	-----------	-------------	--------

ह०.....महापौर

विगत कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारिणी एवं आपके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बजटिया बौराहे का नाम कानपुर शहर की अमन शान्ति के लिये अपने प्राण देने वाले शहीद ए.डी.एम. स्वर. सी.पी. पाठक के नाम करके बौराहे का सुन्दरीकरण भी करवा दिया जाये परन्तु आज तक इस कार्य में सिर्फ बाले ही हुई है और शहीद परिवार की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया और कुछ नहीं।

ट्रेडल प्रस्ताव संख्या-1933 श्री आशीष बिपाठी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

चुनाव आचार संहिता के उपरान्त किया जाएगा।
उत्तराखण्ड मा० कार्यकारिणी समिति (नामकरण) के समक्ष स्वीकार्य प्रेषित है। वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, कार्यवाही आदर्श समाचार पत्र अमर उजाला दिनांक 16-12-2016 के अनुसार गुमटी मार्ग का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर सिंह के नाम किया जाना है।
सम्बोधित है, जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 113/एस.टी./2016 दिनांक दिसम्बर-31, 2016 एवं जनसुनवाई संदर्भ संख्या 11164160160739 तथा दैनिक श्री गुरुसिंह समा कानपुर महानगर के संयुक्त हस्ताक्षर सहित प्राप्त पत्र जो कि जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित है, जिलाधिकारी महोदय की

ट्रेडल प्रस्ताव संख्या-1932 आशीषा आशुतोषा जीन-5 एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :-

1927	जोन-1 बार्ड-92 के अन्तर्गत भवन संख्या-27/01 से रोटी गोदाम से 59/30 एवं दवा मार्केट से बौद्धने वाली सड़क का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2004492.00	1703818.00	15 प्रतिशत निम्न	मेसर्स जगदम्बा इंटरप्र्राइजेज	स्वीकृत
1928	जोन-1 बार्ड-99 सीसामऊ हिसुन्सरी के अन्तर्गत वृक्षाश्रम भवन का निर्माण कार्य। पार्ट-2	राज्य वित्त आयोग	1944152.00	1905502.00	0.13 प्रतिशत निम्न	मेसर्स एस.ए. विटर्स	स्वीकृत
1929	जोन-1 बार्ड-97 के अन्तर्गत सिद्धेश्वर मन्दिर से वी०एन० शुक्ल पोस्ट ऑफिस तक सड़क का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1499152.00	1274279.00	15 प्रतिशत निम्न	मेसर्स डेल्टाडिरेक्टर्स प्रा०लि०	स्वीकृत
1930	जोन-1 के अन्तर्गत बार्ड-84 दलालपुरवा बौराहा से बूक आफ बड़वा तक सड़क का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1927363.00	1908090.00	1 प्रतिशत निम्न	मेसर्स डेल्टाडिरेक्टर्स प्रा०लि०	स्वीकृत
1931	जोन-1 बार्ड-99 के अन्तर्गत हलीम कालेज बौराहे रूपम बौराहे से एच.एम.पी. द्वारा रोड का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1901559.00	1616325.00	15 प्रतिशत निम्न	मेसर्स डेल्टाडिरेक्टर्स प्रा०लि०	स्वीकृत

शहीद के अपमान करने हेतु कार्यकारिणी के निर्णय को न मानने के कारण लोक सेवकों को जो इसके अनुपालन में जिम्मेदार है उनके नाम एफ. आई.आर. कराने का कष्ट करें।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1934 हाजी सुहेल अहमद द्वारा प्रस्तुत एवं श्री नवीन पंडित द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

विषय :- जोन-1 वार्ड-104 के अन्तर्गत नालारोड खलवाँ स्थित नगर निगम के चिकित्सालय का नामकरण “स्वतंत्रा संग्राम के महान सितारे मौलाना अबुल कलाम आजाद” के नाम पर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष आपसे सादर अनुरोध है कि जोन-1 वार्ड-104 के अन्तर्गत नालारोड खलवाँ स्थित नगर निगम का चिकित्सालय बना हुआ है। जिसको कंधी मोहाल होम्यो अस्पताल के नाम से पुकारा जाता है। उक्त चिकित्सालय का नाम “स्वतंत्रा संग्राम के महान सितारे मौलाना अबुल कलाम आजाद” के नाम कर दिया जाये तो निश्चित रूप से यह जंगे आजादी के अहम सितारे के नाम पर एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

अतः आपसे व मा० कार्यकारिणी समिति के सदस्यगणों से अनुरोध है कि उक्त चिकित्सालय का नाम “स्वतंत्रा संग्राम सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद” के नाम पर किये जाने का आदेश पारित करें।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1935 नगर आयुक्त नगर निगम, कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

जैसा कि विदित है कि शासन द्वारा जारी शासनादेश सं० 5282/नौ-4-94-21जनरल/91 नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 17 जनवरी, 1995 के द्वारा उ०प्र० पालिका केन्द्रीयत सेवा के चिकित्सा सेवा संवर्ग को मृत घोषित कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप नगर निगम द्वारा संचालित चिकित्सा यूनिटें चिकित्सकों के अभाव में सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रही थी अस्तु क्षेत्रीय निवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूनिटों को संचालित किये जाने हेतु महापौर महोदय ने निःशुल्क सेवायें प्रदान करने वाले चिकित्सकों को यात्रा भत्ता का भुगतान करने की अनुमोदन/स्वीकृति कर दी थी। महापौर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डा० सुभाष गर्ग, नाक,कान,गला रोड विशेषज्ञ उपस्थित नहीं हो सके थे, फलतः तत्समय गठित चिकित्सकों के पैनल में इनका नाम शामिल किया गया था। अब डा० गर्ग अपने पत्र के माध्यम से उन्हें भी अन्य चिकित्सकों की भाँति यात्रा भत्ता दिये जाने का अनुरोध किया है।

अवगत हो कि डा० सुभाष गर्ग, नाक,कान,गला रोग विशेषज्ञ जे०ए०एम० अस्पताल गोविन्द नगर में पिछले काफी समय से अपनी अवैतनिक सेवायें प्रदान कर मरीजों को चिकित्सीय सेवायें दे रहे हैं, यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि पूर्व में डा० प्रकाश खत्री नाक,कान,गला रोड विशेषज्ञ के लिये पैनल में शामिल किये गये थे उन्होंने अपनी सेवायें देना बन्द कर दिया है जिससे यह पद रिक्त है डा० गर्ग द्वारा काफी समय से अस्पताल में दी जा रही निःशुल्क सेवाओं को ध्यान में रखते हुये उन्हें रिक्त स्थान पर समायोजित करते हुये यात्रा भत्ता का लाभ दिया जा सकता है। इसके लिये मा० कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति आवश्यक है।

ह०.....महापौर

..... आगामी 03 वर्षों का अनुबन्ध किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई तथा निर्णय लिया गया कि कार्य संतोषजनक रहने पर आगे विचार किया जायेगा।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1938 श्री अनिल त्रिपाठी अध्यक्ष, राम प्रसाद त्रिपाठी स्मारक समिति, कानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर विचार करना :-

विषय :- अमर शहीद राम प्रसाद त्रिपाठी गुलाब वाटिका मोतीझील में नेता शहीद राम प्रसाद त्रिपाठी जी की प्रतिमा लगाने के सम्बन्ध में।

मा० सभापति महोदय जी अमर शहीद राम प्रसाद त्रिपाठी जी की प्रतिमा राम प्रसाद त्रिपाठी गुलाब वाटिका (मोतीझील) में लगवाने को आदेशित करने की कृपा करें।

मान्यवर प्रतिमा लगवाने में जो भी खर्चा आयेगा वह हमारी समिति अपने श्रोतो से करेगी।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या-1939 अधिशीष अभियंता जोन-4 व मुख्य अभियंता द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :-

जोन-4 वार्ड-43 मोतीझील के अन्तर्गत नगर निगम मुख्यालय का एक दूसरा मुख्य द्वार है, जो पं० श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के पास है, उक्त द्वार काफी पुराना एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। कारगिल पार्क में निर्माणाधीन स्वामी विवेकानन्द जी “स्मृतिका” का बेनाझाबर रोड से मुख्य प्रवेश द्वार भी है। इस द्वार का भव्य निर्माण कराये जाने के साथ ही इस द्वार से गुरु गोविन्द सिंह द्वार तक के दोनो तरफ के फुटपथों का भव्य अलंकरण कराये जाने एवं इस द्वार का नाम स्वामी विवेकानन्द द्वार-करने हेतु मा० महापौर महोदय द्वारा मौखिक निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः इस द्वार के भव्य निर्माण के साथ ही पं० श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क से गुरु गोविन्द सिंह द्वार तक के दोनो तरफ फुटपथों का भव्य अलंकरण कराये जाने एवं इस द्वार का नाम स्वामी विवेकानन्द जी द्वार करने हेतु मा० कार्यकारिणी समिति नगर निगम के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रतिमा स्थल के बगल में मोतीझील के मुख्य द्वार का नाम स्वामी विवेकानन्द के नाम से नामकरण किये जाने, द्वार का भव्य सुन्दरीकरण एवं स्वामी विवेकानन्द द्वार से गुरु गोविन्द सिंह द्वार तक के दोनो तरफ के फुटपथों का भव्य अलंकरण कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि चिड़िया घर रोड से गंगा बैराज जाने वाले मार्ग का नामकरण पं० मदनमोहन मालवीय व चिड़िया घर चौराहे से गुरुदेव पैलेस चौराहे तक के मार्ग का नामकरण भारत रत्न मा० श्री अटल बिहारी वाजपेई पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से पूर्व में किया गया था, परन्तु अभी तक उक्त मार्गों में उनके नाम का शिलापट नही लगाया गया है।

सभापति ने उक्त मार्गों पर पूर्व में स्वीकृत नामकरणों के शिलापट लगवाये जाने के निर्देश दिये।

सदस्यों द्वारा सभापति से भैरवघाट की भाँति सिद्धनाथ घाट व अन्य घाटों में दाह संस्कार हेतु शुल्क निर्धारण कराये जाने का अनुरोध किया गया।

सभापति ने नगर आयुक्त को तदनुसार कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देश दिये।
सभापति ने सभी सदस्यों को सौहार्दपूर्ण ढंग से बैठक सम्पन्न होने पर धन्यवाद देते हुये आभार व्यक्त किया तथा आज दिनांक-30-03-2017 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि हेतु अपना-अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु निर्देशित किया।
..... सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक-30.03.2017 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि की गई।

तत्पश्चात् बैठक का समापन हुआ।

ह0.....
(जगतवीर सिंह द्रोण)
महापौर/सभापति